# e/;izns'k esa y{; vk/kkfjr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

v/;;u fjiksVZ
fnlEcj 2004

laidZ] lksiku ,oa Hkkstu dk vf/kdkj vfHk;ku
e/;izns'k

## v/; ;u e 'kkfey lLFkk,

- संपर्क मध्यप्रदेश
- सोपान, सिवनी, मध्यप्रदेश
- वास्प्स, धार, मध्यप्रदेश
- स्पंदन, खण्डवा, मध्यप्रदेश
- निर्माण, मण्डला, मध्यप्रदेश
- सेंटर फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट, शिवपुरी, मध्यप्रदेश
- भोजन का अधिकार अभियान, मध्यप्रदेश

## v/; ;u dk y[ku

अभिताभ सिंह, लीना सिंह,

## vkdMk dk fo'y"k.k

अभिताभ सिंह, लीना सिंह, ब्रज मोहन दुवगे, दीपक कौशिक, नेहा सौचे, अंर्चना रावत

## Vkbfix dEikftx

राकेश यादव, दिनेश लोधी

# fo"k; oLr|


1. परिचय.......................... 4
2. मध्यप्रदेश .......................... 4
3. अध्ययन की जरूरत .......................... 5
4. अध्ययन के उद्‌देश्य एवं अध्ययन पद्धति..........................6
5. अध्ययन क्षेत्र का प्रोफाइल.......................... 7
6. भारत वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली..........................9
7. राज्यों को खाद्‌यान का आवंटन और उठाव.......................... 12
8. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सर्वोच्च न्यायलय..........................15
9. खाद्‌यान : उपलब्धता के श्रोत एवं जरूरत का समय .......................... 18
10. उचित मूल्य की दुकान और लोग ..........................18
11. वितरण प्रणाली के लाभ .......................... 19
12. उचित मूल्य की दुकान से खरीद .......................... 19
13. उचित मूल्य की दुकान नहीं जाना .......................... 23
14. उचित मूल्य की दुकान खुलने की अवधि और समय.......................... 24
15. निगरानी समितियां .......................... 25
16. पंचायतों और ग्रामसभाओं की भागीदारी .......................... 26
17. दुकानदार के अनुभव .......................... 26
18. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष .......................... 27
19. सुझाव .......................... 28

# e/; çns'k esa lkoZtfud forj.k ç.kkyh

## 1- ifjp;

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गई थी। और इस लिहाज से वह सरकार द्वारा खुले बाजार पर नियंत्रण रखने का एक प्रमुख औजार थी। वर्ष 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करवाना रहा है।

### 1-1- e/;çns'k

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 6 करोड़ के आसपास है और इसमें से लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। मध्यप्रदेश में आदिवासी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और प्रदेश की कुल जनंसख्या में लगभग 20 प्रतिशत लोग आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। आदिवासी जनसंख्या मूल रूप से गांवों में ही निवास करती है। यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश कुल आदिवासी जनसंख्या का 93 प्रतिशत भाग आज भी गांवों में निवास करता है। प्रदेश की कुल जनंसख्या में 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है और इस 15 प्रतिशत का 76 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है।

e/;çns'k dh tula[;k dk fooj.k
(ग्रामीण एवं शहरी की संख्या प्रतिशत में दर्शाई गई है)

| tula[;k | e/;çns'k | vuqlwfpr tkfr | vuqlwfpr tutkfr |
|---|---|---|---|
| कुल जनंसख्या | 60348023 | 9155177 | 12233474 |
| प्रतिशत | 100 | 15ण2 | 20ण3 |
| ग्रामीण जनसंख्या | 74 | 76 | 94 |
| शहरी जनसंख्या | 26 | 24 | 6 |

lzksr % tux.kuk 2001

rkfydk & 1

मध्यप्रदेश देश के गरीब राज्यों की श्रेणी आता है और योजना आयोग के वर्ष 1999–2000 के अनुमानों अनुसार प्रदेश की कुल जनंसख्या में से 37.43 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। ग्रामीण जनसंख्या में से 37.06 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। मतलब यह है कि लगभग एक तिहाई से ज्यादा जनसंख्या गरीबी के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि योजना आयोग और भारत सरकार गरीबी को सीधे–सीधे भोजन की उपलब्धता से जोड़कर देखते हैं। गरीबी का मतलब प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने से जुड़ा हुआ है।

अब हम अगर मध्यप्रदेश में गरीबी को समझना चाहे तो यह भी समझना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने की क्षमता घर या परिवार मे खाद्यान्न की उपलब्धता से सीधे–सीधे जुड़ा है। अतः खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा की संरचना प्रदेश की गरीबी से सीधे सीधे जुड़ी हुयी है। मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति में हर वर्ष बदलाव आता रहा है इसके कई कारण है जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कृषि की स्थिति है कृषि में भी सिंचाई व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कुल बोए गए जमीन का 27.08 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। प्रदेश की अधिकांश खेती वर्षा आधारित है जो कि कृषि उत्पादन को वर्षा की स्थिति से जोड़ती है और अनियमित बनाती है।

e/;çns'k esa [kk|Uu ,oa uxnh Qlyksa dk mRiknu
¼la[;k yk[k eSfVªd Vu esa½

| कृषि उत्पादन | 1998-99 | 1900-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| धान | 13ण84 | 17ण1 | 9ण42 | 16ण92 | 9 |
| गेहूं | 82ण55 | 86ण85 | 84ण69 | 60 | 42ण85 |
| ज्वार | 7ण18 | 5ण27 | 4ण6 | 5ण8 | 5ण57 |
| सभी अनाज | 118ण75 | 125ण78 | 79ण1 | 103ण82 | 75ण34 |
| सभी दालें | 33ण72 | 34ण23 | 22ण75 | 32ण24 | 22ण2 |
| कुल खाद्यान्न | 152ण47 | 160ण01 | 101ण85 | 136ण06 | 97ण55 |

rkfydk % 2
lzksr % e/;çns'k dk vkfFkZd losZ{k.k] 2003&2004

rkfydk & 2

व्यक्तिगत सिंचाई के साधन बड़े किसानों या कुछ सीमा तक मझोले किसानों के पास ही है।स पिछले 4–5 वर्षों के दौरान सिर्फ 2003–2004 में ही वर्षा सामान्य रही है अन्यथा वर्षा एकदम अनियमित रही है। अनियमित वर्षा का प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और सारणी से स्पष्ट है। यह अनियमित खाद्यान्न उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता पर नकारात्मक असर डालती है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह प्रदेश में गरीबी को बढ़ा सकती है। क्योंकि गरीबी और भोजन के रूप में ली जा रही कैलोरी का आपस में सीधा सम्बन्ध है।

इस पूरी पृष्ठभूमि में लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी निवारण का आपस में सीधा–सीधा सम्बन्ध बनता है क्योंकि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक से काम करेगी तो गरीब परिवार महीने में 5–7 दिन की मजदूरी उपलब्ध होने पर भी उचित मूल्य की दुकान से अपने परिवार के लिए आवंटित राशन खरीद सकेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में दायर वाद से भ यह बात स्पष्ट होती है कि –

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब और अति गरीब परिवारों के लिए बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाती है।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत गरीब परिवारों को (जिनके नाम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में दर्ज होते हैं!) रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में से लगभग एक चौथाई परिवारां को अति गरीब परिवार माना गया है, जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का हितग्राही माना गया है। इन परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत एक राशन कार्ड पर 35 किलो अनाज दिये जाने का प्रावधान है।

## 2- v/;;u dh t:jr

एक्शन एड मध्यप्रदेश के 12–13 जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें उनके संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है। भोजन के अधिकार अभियान के लिए काम करते वक्त प्रदेश के अनेकों क्षेत्रों से भूख से हुई मौत की रिपोर्ट सामने आई और यह भी अनुभव हुआ कि खाद्यान्न की कमी की वजह से लोग भारी संख्या में पलायन करते हैं। अनुभवों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि संक्षिप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाी के ठीक से काम न कर पाने की वजह से लोगों की परिस्थिति और खराब हो जाती है विशेष रूप से वृद्ध, विकलांग, बेसहारा और विधवा और बच्चों की! यह वह वर्ग है जो पलायन के समय गांव में ही रह जाता है। इस पूरे संदर्भ में यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि विगत दो वर्षो से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्धन और क्रियान्वयन व्यवस्था पर सीधी निगाह रखी शुरू की है। इसी संदर्भ में सर्वाच्च न्यायालय ने 2 मई 2003 के अपने आदेश में तय किया कि –

- बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा, पुरुष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध्या पिलाने वाली माताएं।
- विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है।
- 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं ह।
- वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है।
- ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति–रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।
- आदिम (च्तपउपजपअम) जनजातियां

इसे पूरे परिप्रेक्ष्य में कई सवाल उठते हैं कि –

- क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी गरीब परिवारों को विशेष रूप से अति गरीब परिवारों को तय कदर पर राशन उपलब्ध करवा पा रही है।
- लोगों की खुद की खाद्यान्न सुरक्षा की क्या व्यवस्था है।
- क्या लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संतुष्ट हैं।
- क्या पंचायतों और ग्राम सभा की भागीदारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन बेहतर हुआ है।

इन्हीं सवालों पर विचार करते समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत महसूस की गई है।

## 3- v/;;u dk mís';

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझना।
- गांवों क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका को समझना।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में ग्रामीण लोगों के अनुभव, समस्याओं और सुझावों का विश्लेषण करना।

## 4- v/;;u i)fr

यह अध्ययन एक्एशन एड भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय और सात सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से की गई है। इस अध्ययन को करने के लिए –

- गांवों से प्राथमिक आंकड़ों को संकलित किया गया है।
- सरकार व अन्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया है।
- गांवों में लोगों के अनुभवों के केस अध्ययन व गांवों में खाद्यान्न सुरक्षा और प्रबन्धन का इतिहास समझने की कोशिश की गई है।
- उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त आंकड़ों और उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करके उसे विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

### 4-1- v/;;u {ks=

यह अध्ययन प्रदेश के सात जिलो के 7 विकास खण्डों मे स्थित 40 ग्राम पंचायतो के कुल 54 गांवो में किया गया। यह अध्ययन मुख्य रुप से 28 उचित मूल्य की दुकानो के प्रभाव क्षेत्र के गांवों में ही किया गया। के लिए चुने गए क्षेत्र को निम्नलिखित सारणी – 2 में स्पष्ट किया गया है।

| ftyk | Cykd | iapk;r | xkao | mfpr eY; dh nqdku |
|---|---|---|---|---|
| शिवपुरी | कोलारस | 7 | 8 | 4 |
| धार | धर्मपुरी | 5 | 6 | 4 |
| झाबुआ | पेटलावाद | 5 | 8 | 4 |
| खण्डवा | खालवा | 7 | 9 | 4 |
| सिवनी | खुरई | 6 | 8 | 4 |
| मण्डला | बिछिया | 5 | 8 | 4 |
| डिण्डोरी | बैजाग | 5 | 7 | 4 |
| कुल | 7 | 40 | 54 | 28 |

rkfydk & 3

## 4-2- x|.kkRed vkdM+s

समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार समय रेखा और केस अध्ययन जैसे विधियों से संकलित गुणात्मक आंकड़ों को नीचे की सारिणी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन गुणात्मक जानकारियों के विश्लेषण से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पता चलती है साथ ही अध्ययन के आंकड़ों के विश्लेषण में भी काफी आसानी होती है। गुणात्मक आंकड़े वास्तव में संख्यात्मक आंकड़ों के पीछे की कहानी करे और ज्यादा स्पष्ट करते है।

| v/; ;u {k= ls lipuk lxfgr djus ds fy, mi;kx dh xbl fof/k | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ftyk | leg ppk | 0;fDrxr lk{kkRdkj | le; js[kk | ds l LVMh |
| धार | 8 | 10 | 8 | 1 |
| झाबुआ | 10 | 8 | 8 | 9 |
| मण्डला | 11 | 6 | 8 | 0 |
| डिण्डौरी | 7 | 2 | 8 | 0 |
| शिवपुरी | 8 | 13 | 8 | 4 |
| सिवनी | 8 | 1 | 8 | 3 |
| खण्डवा | 12 | 16 | 8 | 3 |
| कुल | 64 | 56 | 56 | 20 |
| श्रोत : 2001 dh tux.kuk ,oe e- ç- dk ekuo fodkl çfrosnu 2003 | | | | |
| rkfydk & 4 | | | | |

## 4-3- v/; ;u {k= dk çksQkby

यह अध्ययन प्रदेश के सात जिलों में किया गया जो प्रदेश के अलग–अलग सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तथ्य सारणी में प्रस्तुत है। अध्ययन क्षेत्र की प्रोफाइल से यह स्पष्ट होता है कि इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के अधिकांश सांस्कृतिक विभिन्नता शामिल है। इस अध्ययन में बुदेलखंड और बघेल खण्ड क्षेत्र शामिल नहीं है।

| o"k 2001 dh tux.kuk ds vk/kkj ij ftyksa dh dqy tula[;k esa vtk v©j vttk dh tula[;k ,oe ekuo fodkl çfrosnu | | | |
|---|---|---|---|
| ftyk | सांस्कृतिक क्षेत्र | o"k 2001 dh tux.kuk ds vk/kkj ij ftyksa dh dqy tula[;k esa vtk v©j vttk dh tula[;k dk çfr'kr | ftys dk ekuo fodkl lpdkd |
| शिवपुरी | गवालियर – चम्बल | 29ण98 | 0ण473 |
| धार | मालवा | 60ण99 | 0ण559 |
| झाबुआ | मालवा | 89ण66 | 0ण372 |
| खण्डवा | निमार | 40ण76 | 0ण563 |
| सिवनी | महाकौशल | 47ण12 | 0ण55 |
| डिण्डौरी | महाकौशल | 70ण31 | 0ण557 |
| मण्डला | महाकौशल | 61ण85 | 0ण578 |
| श्रोत : 2001 dh tux.kuk ,oe e- ç- dk ekuo fodkl çfrosnu 2003 | | | |
| rkfydk & 5 | | | |

सभी सातों जिले प्रदेश के विभिन्न छोरों पर स्थित हैं जो नीचे सारणी में स्पष्ट है

| ftyk | LFkku | tutkfr;ka | v/; ;u xkeksa dh tula[;k |
|---|---|---|---|
| शिवपुरी | पश्चिमी म. प्र., राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर | सहरिया जनजाति जो कि आदिम जनजाति घोषित है | सभी गांव सहरिया बहुल |
| धार | पश्चिमी मध्यप्रदेश राजस्थान की सीमा पर | भील–भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र | भील–भिलाला बहुल गांव |
| झाबुआ | पश्चिमी मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर | भील–भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र | भील–भिलाला बहुल गांव |
| खण्डवा | दक्षिणी मध्यप्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगा | भील–भिलाला जिले की कई तहसील अनुसूचित क्षेत्र | भील–भिलाला बहुल गांव |
| सिवनी | पूर्वी मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित | गोंड व कोरकू प्रमुख जनजातियां जिले की अधिकांश तहसीलें पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित | गोंड बहुल गांव |
| मण्डला | म. प्र. के पूर्वी छोर पर छत्तीसगढ़ की सीमा पर | गोंड व बैगा पूरा जिला अनुसूचित क्षेत्र बैगा आदिम जनजाति | गोंड बहुल गांव |
| डिण्डौरी | पूर्वी म. प्र. | गोंड व बैगा पूरा जिला अनुसूचित क्षेत्र बैगा आदिम जनजाति | बैगा बहुल गांव |
| rkfydk & 10 | | | |

## 4-4- xkoka dh çkQkbZy

गांवों में सुविधाओं की स्थिति और उचित मूल्य के दुकान की स्थिति नीचे सारिणी में दी गई है–

| Øe la[;k | xko | xko esa fofHkUu lqfo/kvksa dh fLFkfr | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dqy xkeks dh la[;k | lMd ls tqMs xkao | Ldqy dh lqfo/kk | ih- ,p- lh- | mfpr ewY; dh nqdku | xko dk ckt kj | i¨LV vkfQl | Q¨u dh lqfo/kk | cSad | fdjkus dh nqdku | vkaxuokMh |
| 1 | शिवपुरी | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | धार | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | झाबुआ | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | खण्डवा | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | मण्डला | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | डिण्डौरी | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | सिवनी | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Dqy | | 57 | 16 | 44 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 51 |
| J¨r% v/;;u ds vkWdM¨ dk fo'ys"k.k | | | | | | | | | | | | |
| rkfydk & 11 | | | | | | | | | | | | |

28 प्रतिशत गांवों में उचित मूल्य की दुकान है और 72 प्रतिशत गांवों के लोगों को राशन के लिए गांव से बाहर स्थित उचित मूल्य की दुकान पर जाना पड़ता है।

## 4-5- v/;;u esa 'kkfey xzkeh.kksa ds fy, nqdku dh nwjh

अध्ययन में 7 जिलों के कुल 7970 व्यक्तियों से बातचीत की गई। इन लोगों के हिसाब से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों के लिए दुकान कहां पर स्थित है। यह सारिणी में प्रस्तुत है।

इस सारणी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 32.4 प्रतिशत लोगों के गांव में ही राशन की दुकान है जबकि लगभग 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राशन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। लगभग 23.1 प्रतिशत उत्तर दाता अपने गांव से 3 से 6 किमी दूर जाते हैं तो 7.4 प्रतिशत उत्तरदाता 6–9 किमी दूर जाते हैं।

| xko ls mfpr ewY; ds nqdku dh nwjh | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ftyk | Xkko esa gh | Xkko ls 1 ls 3 fdeh- nwj | Xkko ls 3 ls 6 fdeh- nwj | Xkko ls 6 ls 9 fdeh- nwj | 9 ls T;knk | Tokc ugh | dqy |
| धार | 105 | 137 | 37 | 0 | 0 | 1 | 280 |
| | 37ण5 | 48ण9 | 13ण2 | 0 | 0 | 0ण4 | 100 |
| डिण्डौरी | 80 | 140 | 47 | 0 | 0 | 2 | 269 |
| | 29ण7 | 52ण0 | 17ण5 | 0 | 0 | 0ण7 | 100 |
| झाबुआ | 63 | 138 | 88 | 1 | 0 | 4 | 294 |
| | 21ण4 | 46ण9 | 29ण9 | 0ण3 | 0 | 1ण4 | 100 |
| खण्डवा | 212 | 51 | 20 | 3 | 0 | 4 | 290 |
| | 73ण1 | 17ण6 | 6ण9 | 1ण0 | 0 | 1ण4 | 100 |
| मंडला | 35 | 100 | 106 | 35 | 2 | 1 | 279 |
| | 12ण5 | 35ण8 | 38ण0 | 12ण5 | 0ण7 | 0ण4 | 100 |
| सिवनी | 108 | 99 | 70 | 1 | 0 | 0 | 278 |
| | 38ण8 | 35ण6 | 25ण2 | 0ण4 | 0ण0 | 0ण0 | 100 |
| शिवपुरी | 35 | 51 | 88 | 105 | 0 | 1 | 280 |
| | 12ण5 | 18ण2 | 31ण4 | 37ण5 | 0ण0 | 0ण4 | 100 |
| कुल | 638 | 716 | 456 | 145 | 2 | 13 | 1970 |
| | 32ण4 | 36ण3 | 23ण1 | 7ण4 | 0ण1 | 0ण7 | 100 |
| *J¨r% v/;;u ds vkWdM¨ dk fo'ys"k.k* | | | | | | | |

## 4-6- mÙkjnkrkvk dk çkQkby

किस जिले के कितने उत्तरदाता किस वर्ग के कार्ड धारक हैं यह नीचे सारणी में स्पष्ट किया गया है।
सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 57 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्ग से हैं। अन्त्योदय वर्ग से 29.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं और 13.7 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा से ऊपर वाले वर्ग के कार्ड धारक हैं। लगभग 87.6 प्रतिशत उत्तर पुरुष हैं और 12.4 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं हैं। अधिकांश उत्तरदाता (लगभग 38 प्रतिशत) 31 से 40 वर्ष की उम्र श्रेणी के हैं। 41 से 50 वर्ष की बीच की उम्र वाले उत्तरदाता 24.9 प्रतिशत हैं और 17.2 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 30 वर्ष के उम्र के बीच के हैं।

| DkMZ /kkjdk dh Js.kh | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ftyk | vR;¨n; Js.kh ds dkMZ /kkjd | xjhch js[kk Js.kh ds dkMZ /kkjd | xjhch js[kk ls Åij dh Js.kh ds dkMZ /kkjd | dqy |
| शिवपुरी | 93 ;33ण5:द्ध | 96 ;34ण5:द्ध | 89 ;32:द्ध | 278 |
| झाबुआ | 80 ;27ण2:द्ध | 213 ;72ण4:द्ध | 1 ;0ण3:द्ध | 294 |
| धार | 80 ;28ण6:द्ध | 160 ;57ण1:द्ध | 40 ;14ण3:द्ध | 280 |
| खण्डवा | 79 ;27ण6:द्ध | 165 ;57ण7:द्ध | 42 ;14ण7:द्ध | 286 |
| सिवनी | 78 ;28ण1:द्ध | 161 ;57ण9:द्ध | 39 ;14:द्ध | 278 |
| मंडला | 99 ;35ण5:द्ध | 164 ;58ण8:द्ध | 16 ;5ण7:द्ध | 279 |
| डिण्डोरी | 66 ;24ण5:द्ध | 161 ;59ण9:द्ध | 42 ;15ण6:द्ध | 269 |
| कुल | 575 ;29ण3:द्ध | 1120 ;57:द्ध | 269 ;13ण7:द्ध | 1964 |
| श्रोतः अध्ययन के आंड़ो का विश्लेषण | | | | |

## 4-7- ftyk e xjhch vkj vU; rF;

अध्ययन के लिए चुने गए जिलों में ग्रामीण गरीबी, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत नीचे दिया गया है। सारणी के आंकड़ों से यह स्पष्ट हैं कि मण्डला, डिण्डौरी और झाबुआ सर्वाधिक गरीब जिलों में आते हैं और साथ ही इन जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का अनुपात भी काफी ज्यादा है। झाबुआ का मानव विकास सूचकांक भी अत्यन्त कम है।

| ftyk | ftys ds xzkeh.k {ks= e xjhch js[kk ls uhps thou ;kiu djus oky ifjokjk dk ifr'kr | ftys dh tula[;k e vuqlwfpr tkfr ,o tutkfr ds ifjokjk dk l;qDr ifr'kr | ftys dk ekuo fodkl lwpdkd |
|---|---|---|---|
| f'koiqjh | 29ण62 | 29ण98 | 0ण473 |
| /kkj | 38ण76 | 60ण99 | 0ण559 |
| flouh | 41ण4 | 47ण12 | 0ण55 |
| [k.Mok | 44ण83 | 40ण76 | 0ण563 |
| >kcqvk | 54ण37 | 89ण66 | 0ण372 |
| fM.Mkjh | 57ण09 | 70ण31 | 0ण557 |
| eMyk | 59ण08 | 61ण85 | 0ण578 |
| श्रोत : 2001 dh tux.kuk ,oe e- ç- dk ekuo fodkl çfrosnu 2003 | | | |

## 5- Hkkjr o"k e lf{kIr lkoZtfud forj.k i.kkyh

हमने यह समझने का प्रयास किया कि समान पृष्ठभूमि वाले राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है। परिस्थितियों की तुलना के लिए हमने आन्ध्रंप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उत्तरप्रदेश, और राजस्थान को चुना है। इनमें से उत्तरप्रदेश और राजस्थान पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ 31 अक्टूबर 2000 तक मध्यप्रदेश में शामिल था और इसी समय तक आंध्रप्रदेश, बिहार और उड़ीसा मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य थे।

### 5-1- xjhch

वर्ष 1972—73 में मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ शामिल) उड़ीसा और बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी थी जबकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में गरीबी 40 से 50 प्रतिशत के बीच में थी। वर्ष 1999—2000 में आंध्रप्रदेश और राजस्थान में यह गरीबी रेखा 15 प्रतिशत से नीचे आ गई जबकि बिहार और उड़ीसा में यह अभी भी 40 से 50 प्रतिशत के बीच में बनी हुई है। मध्यप्रदेश में गरीबी 37. 43 प्रतिशत है जो 40 के बहुत नीचे नहीं है।

| xzkeh.k xjhch js[kk ds vuqikr esa ifjorZu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jkT; | 1973-74 | 1977-78 | 1983 | 1987-88 | 1993-94 | 1999-00 |
| बिहार | 62ण99 | 63ण25 | 64ण37 | 52ण63 | 58ण21 | 44ण3 |
| मध्यप्रदेश | 62ण66 | 62ण52 | 48ण9 | 41ण92 | 40ण64 | 37ण06 |
| उड़ीसा | 67ण28 | 72ण38 | 67ण53 | 57ण64 | 49ण72 | 48ण01 |
| उत्तरप्रदेश | 56ण53 | 47ण6 | 46ण45 | 41ण1 | 42ण28 | 31ण22 |
| आन्ध्रप्रदेश | 48ण41 | 38ण11 | 26ण53 | 20ण92 | 15ण92 | 11ण05 |
| राजस्थान | 44ण76 | 35ण89 | 33ण5 | 33ण21 | 26ण46 | 13ण74 |
| lEiw.kZ “kjr | 56.44 | 53.07 | 45.65 | 39.09 | 37.27 | 27.09 |
| Hkkjr dk ;kstuk vk;ksx fu;kstu dh lkf[;dh; iksQkby 1999&90 Hkkjr ljdkj | | | | | | |
| rkfydk & 6 | | | | | | |

## 5-2- lkoZtfud forj.k ç.kkyh esa fgrxzkfg;ksa dh Jsf.k;k

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्रहियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है, यह श्रेणियां नीचे स्पष्ट की गई हैं।

### 5-2-1- vUR;ksn; vUu ;kstuk ds vfr xjhc

भारत सरकार ने जनवरी 2001 से यह योजना शुरू की। हर प्रदेश के कुल गरीबों के 25 प्रतिशत भाग को अति गरीब माना गया है। अति गरीब परिवारों की राज्यवार सारणी इस प्रकार है —

| fofHkUu çns'kksa esa vR;¨n; ifjokj¨ dh fLFkfr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø- | jkT; | vR;¨n; ;kstuk ds vUrxZr çLrkfor ifjokjksa dh la[;k ¼yk[k esa½ | jkT; ljdkj }kjk vR;¨n; ;kstuk ds vUrxZr igpku fd, x, vkj jk'ku dkMZ forfjr fd, ifjokjksa dh la[;k ¼yk[k esa½ | vR;¨n; ;kstuk ds vUrxZr jk'ku dkMZ çkIr fd, ifjokjksa dh çfr'kr |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 12ण336 | 12ण336 | 100ण0 |
| 4 | बिहार | 19ण805 | 10ण000 | 50ण5 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 5ण693 | 4ण619 | 81ण1 |
| 15 | मध्यप्रदेश | 12ण525 | 9ण488 | 75ण8 |
| 21 | उड़ीसा | 10ण013 | 5ण055 | 50ण5 |
| 23 | राजस्थान | 7ण381 | 5ण733 | 77ण7 |
| 28 | उत्तरप्रदेश | 32ण423 | 32ण423 | 100ण0 |
| तालिका — सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्रोत : भारत सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की विभागीय वेब साइटरू | | | | |
| rkfydk & 7 | | | | |

इस सारणी से यह स्पष्ट होताा है कि सिर्फ आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश ने ही सभी अन्तयोदय परिवारों की पहचान और कार्ड वितरण का का शत—प्रतिशत पूरा किया है। मध्यप्रदेश अभी भी लगभग 25 प्रतिशत अन्त्योदय परिवारों को अति गरीब के रूप में पहचान हो जाने के बाद कार्ड उपलब्ध नही करा पाया है।

### 5-2-2- xjhch js[kk ds uhps okys ifjokj

वर्तमान में सभी प्रदेशों द्वारा वर्ष 1997—98 में पहचाने गये गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे का परिवार मानकर उन्हें सस्ते दर पर राशन दिया जा रहा है। अप्रैल 2002 से हर परिवार (अन्त्योदय, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के परिवार) को प्रति माह 35 किलो के हिसाब से राशन की पात्रता तय की गई है।

### 5-2-3- xjhch js[kk ds Åij okys ifjokj

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के अलावा गांव के सभी परिवार इस श्रेणी में आते हैं। अध्ययन में तुलना के लिए लिए राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तय कीमतें नीचे सारिणी में स्पष्ट की गई हैं।

| jkT; ljdkjksa dh nqdkuksa ds fy, fu/kkZfjr eY; ¼#i;s çfr fdyks½ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| jkT; | chih,y | | ,ih,y | |
| | xsgwa | pkoy | xsgwa | pkoy xzM , |
| आन्ध्रप्रदेश[1] | 7ण00 | 5ण25 | 7ण00 | 9ण00 |
| बिहार | 4ण73 | 6ण22 | 6ण80 | 9ण22 |
| छत्तीसगढ़ | 4ण65 | 6ण15 | 6ण81 | 9ण04 |
| मध्यप्रदेश[2] | 5ण00 | 6ण50 | 7ण00 | 9ण20 |
| उड़ीसा | 4ण90 | 6ण30 | 7ण00 | 9ण30 |
| राजस्थान | 4ण60 | 6ण15 | 6ण65 | 8ण95 |
| उत्तर प्रदेश | 4ण65 | 6ण15 | 6ण60 | 8ण45 |
| केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य | 4ण15 | 5ण65 | – | – |
| तालिका – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्रोत : भारत सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की विभागीय वेब साइट | | | | |
| rkfydk & 8 | | | | |

## 6- jkT;ksa dks [kk|kUu dk vkoaVu ,oa mBko

वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न और राज्यों द्वारा उनके उठाव के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं –

| lHkh Jsf.k;ksa esa lkoZtfud forj.k ç.kkyh ds fy, dqy [kk|kUuksa dk vkoaVu ,oa mBko | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkT; | vR;ksn; | | | xjhch js[kk ds ifjokj | | | xjhch js[kk ds mij ds ifjokj | | |
| o"kZ | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| Fcgkj | 60 ;72ण087द्ध | 168 ;77ण18द्ध | 252 ;91ण76द्ध | 656ण37 ;9ण85द्ध | 902ण712 ;6ण372द्ध | 887ण712 ;6ण6द्ध | 69ण732 ;0ण98द्ध | 916ण5572 ;0ण062द्ध | 1374ण948 ;0ण46द्ध |
| e/;çns'k | 57ण12 ;90ण9द्ध | 68ण737 ;98ण4द्ध | 54ण113 ;94ण292द्ध | 289ण756 ;41ण95द्ध | 329ण751 ;50ण66द्ध | 204ण946 ;81ण199द्ध | 64ण188 ;1ण23द्ध | 841ण679 ;0ण14द्ध | 464ण816 ;0ण217द्ध |
| mMhlk | 86ण466 ;98ण656द्ध | 212ण316 ;85ण579द्ध | 0 ;0द्ध | 907ण045 ;53ण821द्ध | 1484ण376 ;24ण390द्ध | 1484ण376 ;42ण637द्ध | 44ण64 ;25ण95द्ध | 1015ण098 ;0ण005द्ध | 795ण564 ;0ण901द्ध |
| NÙkhlx<+ | 86ण22 ;90ण3द्ध | 120ण71 ;3ण86द्ध | 153ण96 ;94द्ध | 305ण78 ;48ण5द्ध | 450ण576 ;2ण322द्ध | 445ण936 ;91ण458द्ध | 60ण012 ;0ण35द्ध | 620ण77 ;0द्ध | 620ण7 ;0ण216द्ध |
| mÙkjçns'k | 82ण111 ;102ण31द्ध | 230ण24 ;96ण6द्ध | 284ण873 ;108ण5द्ध | 736ण649 ;34ण44द्ध | 1241ण032 ;40ण8द्ध | 1252ण893 ;50ण96द्ध | 126ण636 ;0ण74द्ध | 2631ण528 ;0ण114द्ध | 4314ण84 ;0ण225द्ध |
| vkU/kçns'k | 186ण84 ;102ण51द्ध | 261ण576 ;89ण7द्ध | 337ण946 ;97ण84द्ध | 1470ण96 ;66ण1द्ध | 1444ण8 ;99ण76द्ध | 1368ण43 ;96ण405द्ध | 1495ण68 ;37ण72द्ध | 2113ण068 ;16ण2द्ध | 2113ण068 ;19ण84द्ध |
| jktLFkku | 1ण284 ;37ण7द्ध | 1ण8 ;20ण8द्ध | 2ण092 ;17ण2द्ध | 6ण282 ;5ण4द्ध | 9ण25 ;4ण35द्ध | 8ण96 ;3ण1द्ध | 9ण36 ;1ण7द्ध | 72ण21 ;0ण069द्ध | 2696ण376 ;4ण12द्ध |
| Hkkjr | 1960ण1 ;85ण62द्ध | 4127ण53 ;85ण7द्ध | 4555ण91 ;91ण4द्ध | 17866ण2 ;56ण27द्ध | 22771ण12 ;59ण3द्ध | 22549ण21 ;70ण1द्ध | 10545ण33 ;19ण97द्ध | 47784ण85 ;6ण4द्ध | 44457ण79 ;9ण502द्ध |
| rkfydk & 9 | | | | | | | | | |

प्रस्तुत आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि अन्त्योदय श्रेणी में खाद्यान्न के उठाव का प्रतिशत काफी अच्छा है। और मध्यप्रदेश द्वारा उठाव य90 प्रतिशत से ज्यादा का रहा है। आवंटन की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि राज्यों को किया जाने वाला आवंटन किसी सिद्धांत के आधार पर न होकर राज्य का केन्द्र के ऊपर प्रभाव के आधार पर तय होता है। आंघ्रप्रदेश, जिसकी जनसंख्या मध्यप्रदेश से कम है, जहां गरीबी का प्रतिशत कम है वहां पर हर श्रेणी में अनाज का आवंटन मध्यप्रदेश या किसी भी दूसरे, राज्य (चुने गए राज्यों) से ज्यादा है।

### 6-1- ftyksa esa vkoaVu ,oa mBko

अध्ययन के सातों जिलों में गेंहू और चावल के गरीबी रेखा के लिए आवंटन तथा उठाव को नीचे दो सारणियों में स्पष्ट किया गया है –

---

[1] अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार द्वार वहन की जाएगी

[2] अलग–अलग क्षेत्रो में बदलता है

| xjhch js[kk ds ifjokjks esa forj.k ds fy, ftyks dks xsgwa dk vkoaVu ,oa mBko | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ftys | Xkjhch js[kk ¼vkoaVu Vu esa½ | | | Xkjhch js[kk ¼ ftyks }kjk mBkok dk izfr'kr ½ | | |
| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| f'kiojh | 7200 | 18540 | 6672 | 122.1 | 81.2 | 168.5 |
| /kkj | 30240 | 53016 | 58620 | 93.2 | 58.5 | 68.9 |
| flouh | 10800 | 14448 | 23436 | 63.0 | 56.7 | 48.0 |
| [kaMok | 13308 | 30588 | 37692 | 113.7 | 73.3 | 78.3 |
| >kcqvk | 26112 | 27120 | 39288 | 70.4 | 95.0 | 84.5 |
| fM.Mkjh | 3600 | 5652 | 10140 | 33.8 | 27.5 | 3.3 |
| eaMyk | 4692 | 6228 | 17292 | 69.9 | 51.1 | 19.9 |
| सेत्र : मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से दिसंबर 2004 में एकत्र किए गये आकंडों के आधार पर | | | | | | |

| xjhch js[kk ds ifjokjks esa forj.k ds fy, ftyks dks pkoy dk vkoaVu ,oa mBko | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ftys | Xkjhch js[kk ¼vkoaVu Vu esa½ | | | Xkjhch js[kk ¼ ftyks }kjk mBkok dk izfr'kr ½ | | |
| | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
| f'kiojh | 1920 | 2400 | 1152 | 78.6 | 67.8 | 68.6 |
| /kkj | 816 | 3264 | 1308 | 59.9 | 36.0 | 84.0 |
| Flouh | 10104 | 10716 | 5976 | 45.8 | 56.9 | 111.3 |
| [kaMok | 5076 | 12960 | 8904 | 120.3 | 67.1 | 94.1 |
| >kcqvk | 7200 | 5544 | 4356 | 80.2 | 97.2 | 85.4 |
| fM.Mkjh | 9576 | 9780 | 9972 | 39.5 | 39.0 | 35.1 |
| eaMyk | 14400 | 19044 | 8196 | 45.6 | 32.7 | 68.5 |
| सेत्र : मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से दिसंबर 2004 में एकत्र किए गये आकंडों के आधार पर | | | | | | |

आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2001–2002 में शिवपुरी तथा खण्डवा में गेहूं का उठाव 100 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2003–04 में शिवपुरी में गेहूं का उठाव 168.5 प्रतिशत है। शेष जिलों में उठाव 100 प्रतिशत से कम है और शिवपुरी को छोड़कर हर जिलें में यह उठाव 2001–02 की स्थिति से भी कम है। मण्डला, डिण्डौरी में उठाव की स्थिति अत्यन्त खराब है।चावल के आवंटन तथा उठाव के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2001–2002 में खण्डवा में 120 प्रतिशत उठाव था तो वर्ष 2003–04 में सिवनी में 111.3 प्रतिशत चावल उठाया था। डिण्डौरी के द्वारा उठाए गए चावल का प्रतिशत 40 से भी कम है। आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल सकता या कम राश्न मिल रहा है।

## 7- y{; vk/kkfjr lkoZtfud forj.k iz.kkyh ij Hkkjr dk lokZPp U;k;y;

### 7-1- fnukad % 28-11-2001

1. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)
    1. भारतीय संघ का कहना है कि टीपीडीएस के संदर्भ में खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। फिर भी यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो इस कार्यक्रम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।
    2. राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की शिनाख्त पूरी कर लें, राशन कार्ड जारी कर दें और प्रतिमाह परिवार 25 किलो खाद्यान्न का वितरण आरम्भ कर दें।
    3. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीपीडीएस के आवेदन फार्म आसानी से उपलब्ध हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

2- vUR;ksn; vUu ;kstuk

1. भारतीय संघ कहना है कि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की

स्थिति में कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो इस स्कीम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

2. हम राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि वे 1 जनवरी 2002 तक इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की शिनाख्त, कार्ड जारी करने और अनाज के वितरण का काम पूरा कर दें।
3. यह प्रतीत होता है कि अन्त्योदय लाभार्थी अति निर्धनता के कारण अनाज उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का कोटा निःशुल्क देने पर विचार करें।

## 7-2- fnukd 8 eb] 2002

(क) प्रतिवादीगण सुनिश्चित करेंगे कि राशन दुकानें पूरे महीने निश्चित घंटे में खुली रहेंगी, इसका ब्यौरा सूचना पट्टा पर प्रदर्शित किया जायेगा।

## 7-3- fnukd 29-10-2002

- अगर अब न्यायालय के आदेशों को मनवाने में हीला–हवाली की गई तो इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिम्मेदार होंगे।
- मुख्य सचिवों या प्रशासकों को यह आखिरी मौका है कि वे न्यायालय के 28 नवम्बर 2001 तथा 8 मई 2002 के आदेशों को अनुवादित कराकर प्रमुखता के साथ उनका सभी ग्राम पंचायतों, स्कूलों, भवनों तथा राशन की दुकानों पर स्थाई तरीकों से प्रदर्शन करें। रेडियो और दूरदर्शन से भी उनका खूब प्रचार कराया जाए। यह काम आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ड्यूटी है कि वे भूख, कुपोषण से होने वाली मौतों की रेाकथाम करें। अगर कमिश्नर ऐसी कोई रिपोर्ट देता है और न्यायालय को भी लगता है कि वाकई में कोई भूख से मरा है तो माना जायेगा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तथा इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा।

## 7-4- fnukd 2 ebZ 2003

इस कोर्ट (भारत का सर्वोच्च न्यायालय) ने पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है। एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा है कि बूढ़े, लाचार व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं व बूढे पुरुषों जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तवकि स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन है परन्तु उसका वितरण बहुत गरीब व बेसहारा लोगों के मामलों में या तो बहुत कम है या बिल्कुल न के बराबर है, जिसकी वजह से कुपोषण, गरीबी व इनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कोर्ट की मुख्य चिंता यह है कि समाज का कमजोर तबका भूख या भुखमरी से त्रस्त न हों। लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है। केवल योजनाएं बना देना जिनका क्रियान्वयन न हो किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।

सविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को ''मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार'' दिया गया है क्या वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिए सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के अभाव में संविधान में दिये गये इस अधिकार से वंचित नहीं हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाए ताकि ये जी सके। इसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला भी दिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि अपने नागरिकों के पोषण

स्तर को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी। हम याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल मई में यह आदेश दिया गया था कि राशन की दुकानें पूरे महीने कुछ निर्धारित घंटों के दौरान खुलें व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य को दी जाए।

अनाज के वितरण के लिए हम (सर्वोच्च न्यायालय) निम्न निर्देश दें रहे हैं –

1. राशन की दुकानों के वे संचालनकर्ता –
    - A. जो अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों।
    - B. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उनके लिए निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों,
    - C. बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हों
    - D. बीपीएल कार्ड में गलत सूचनाएं भरते हों।
    - E. राशन के अनाज के खुले बाजार में बेंचते हों या उन व्यक्तियों को बेच देते हों जो बीपीएल सूची के बाहर हों और राशन की दुकानें व्यक्तियों/संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों,
    - F. उनका लाइसेंस, तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी इस संबंध में कोई ढिलाई नहीं देंगे।
2. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अपने हिस्से का अनाज किश्तों में खरीदने की अनुमति होगी।
3. इस ओदश को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए, ताकि बीपीएल परिवार 'आनाज' के अपने अधिकार के बारे में जान सकें।

23 जुलाई 2001 के आदेश में गरीब, लाचार विकलांग व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के बारे में जो कहा गया था उसे भी यहां लिखा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड के हकदार हैं भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भी अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करें।

1. बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा, पुरुष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध्या पिलाने वाली माताएं।
2. विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है।
3. 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं ह।
4. वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है।
5. ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति–रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।
6. आदिम ;च्तपउपजपअमद्ध जनजातियां

इनके अलावा ऊपर हमने बीपीएल कार्ड धारकों को अनाज की प्रभावी वितरण के संदर्भ में जो बातें कहीं वे सभी उन पर लागू होंगी जो अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल हैं।

## 7-5- vkn'kk d fufgrkFk

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य के संदर्भ में ख याचिका (सी) नं. 2001 की 196, सर्वोच्च न्यायलय ने यह माना है कि गरीब लोग दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोग भूख व भुखमरी से पीड़ित न हो। भूख और भुखमरी रोकरना केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों की सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। भूख और भुखमरी दोनों का उल्लेख कर सर्वोच्च न्यायलय ने

तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह की व्यवस्था को बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया है। सर्वोच्च न्यायलय के वर्ष 2002 में दिए गए आदेशों से स्पष्ट होना है कि –

- भारतीय संघ के लिए जरूरी है कि वह सभी गरीब परिवारों को कार्ड और राशन उपलब्ध करवाएं
- राज्यों में इसका अनुपालन न होने की दशा में भारतीय संघ आवश्यक कार्यवाही करें
- अंत्योदय योजना के हितग्रातियों की पहचान करके जनवरी 2002 तक कार्ड वितरण व राशन वितरण सुनिश्चित करवाएं
- उचित मूल्य की दुकान पूरे महीने निश्चित समयावधि के लिए खुले
- सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर ग्राम पंचायत, स्कूलों, भवनों व राशन की दुकान पर ठीक ढंग से प्रदर्शन करे
- भूख से होने वाली मौतों को रोके अन्यथा संबंधित राज्यों के प्रमुख सचिव की जिम्मेदार माना जाए
- अगर ऐसा लगता है कि अंत्योदय के अति गरीब परिवार अपनी खराब आर्थिक परिस्थिति की वजह से अनाज खरीदने में असमर्थ है तो ऐसे मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का निःशुल्क कोटा देने पर विचार करें
- योजनाएं बनाने के साथ–साथ उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना भी बहुत जरूरी है

न्यायलय ने वर्ष 2003 में यह पूछा है कि जो परिवार अपनी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से गरीबी के नीचे जी रहे है क्या वहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित "मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार" का उल्लघन नहीं हो रहा ? इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने पहले के दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन में सख्ती लाने के निर्देश के साथ आदेशों की अवहेलना करना वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द करने के निर्देश भी दिए साथ ही में 23 जुलाई 2001 के आदेश में वर्णित गरीब व्यक्तियों को आवश्यक रूप से अंत्योदय योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। संक्षेप में कहें तो सर्वोच्च न्यायलय भारतीय संघ से यह अपेक्षा कर रहा है कि वे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को अपनी नीतियों के निर्माण और योजना क्रियान्वयन का आधार बनाएँ।

## 8- [kk|ké % miyC/krk dk lkr ,oa t:jr dk le;

लोगों से की गई बातचीत के आधार पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई संख्यात्मक और गुणात्मक जानकारी के आधार पर हमने यह पाया कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का संकट है। चूंकि मध्यप्रदेश का अधिकांश क्षेत्र खेती के लिए वर्षा पर आधारित है। अतः पिछले कई वर्षों से हो रही कम वर्षा और सूखे ने इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। गांव के लोगों को हम निम्न श्रेणियों के आधार बार बांट उपलब्धता एवं जरूरत का विश्लेषण करेंगे –

| | श्रेणी – ए | श्रेणी – प | श्रेणी – पप | श्रेणी – पट | श्रेणी – ट |
|---|---|---|---|---|---|
| सम्पत्ति के आधार | बड़े किसान | मध्यम श्रेणी के किसान | लघु एवं सीमान्त कृषक | ग्रामीण पारम्परिक कारीगर | भूमिहीन मजदूर |
| निर्भरता | • अपने खेतों के उत्पादन पर<br>• गांव के बाहर व्यवसाय या आमदनी के दूसरे मजबूत स्रोत | • अपने खेतों का उत्पादन<br>• अनाज के खरीद बिक्री का काम<br>• परिवार के कुछड सदस्य सरकारी या प्राइवेट नौकरी में | • अपनी जमीन से 3–6 महीने की जरूरत पूरी<br>• कृषि श्रमिक के रूप में काम<br>• निर्माण क्षेत्र में भी श्रमिक के रूप में काम कुछ परिवारों द्वारा खेतिहर मजदूर के रूप पलायन | • जमीन के छोटे टुकड़े जिनसे कभी कुछ अनाज मिल जाता है कभी नहीं।<br>• अपने पारपम्परिक उत्पाद की मांग कम या या खत्म<br>• हमें परिवार पलायन भी करते हैं। | • खेतिहर मजदूरी से 2–3 महीने का खाद्यान्न<br>• हर तरह की मजदूरी<br>• पलायन से भी 3–4 महीने का खाद्यान्न |

आंकड़ों से यह पता चलता है कि लोगों की खाद्यान्न की जरूरत निम्न स्रोतों से पूरी होती है –

- खुद का उत्पादन
- मजदूरी का अनाज
- मजदूरी में मिले रूपयों से अनाज की खरीदी निम्न स्रोतों से।
    - उचित मूल्य की दुकान

o खुले बाजार से

- गांव के बड़े किसानों या साहूकारों से कर्ज पर अनाज लेना

| [kkn;ku dh t:jr ijk gku d Jk= | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ftys | viuk mRiknu | [kys ckTkj ls | m/kkj | nlj Jkrk ls 0;oLFkk | dkbZ 0;oLFkk ugh | dqy |
| धार | 114 | 115 | 41 | 5 | 5 | 280 |
| : | 11ण46 | 28ण89 | 14ण59 | 2ण12 | 8ण33 | |
| डिण्डोरी | 254 | 2 | 6 | 1 | 6 | 269 |
| : | 25ण53 | 0ण50 | 2ण14 | 0ण42 | 10ण00 | |
| झाबुआ | 263 | 15 | 9 | 6 | 1 | 294 |
| : | 26ण43 | 3ण77 | 3ण20 | 2ण54 | 1ण67 | |
| खण्डवा | 63 | 111 | 13 | 73 | 30 | 290 |
| : | 6ण33 | 27ण89 | 4ण63 | 30ण93 | 50ण00 | |
| मंडला | 142 | 8 | 23 | 104 | 2 | 279 |
| : | 14ण27 | 2ण01 | 8ण19 | 44ण07 | 3ण33 | |
| सिवनी | 75 | 53 | 92 | 43 | 15 | 278 |
| : | 7ण54 | 13ण32 | 32ण74 | 18ण22 | 25ण00 | |
| शिवपुरी | 84 | 94 | 97 | 4 | 1 | 280 |
| : | 8ण44 | 23ण62 | 34ण52 | 1ण69 | 1ण67 | |
| कुल | 995 | 398 | 281 | 236 | 60 | 1970 |
| | 50ण5 | 20ण2 | 14ण3 | 12ण0 | 3ण0 | |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | |

लोगों के अपने उत्पादन से कुल जरूरत का अधिकतम 30 से 40 प्रतिशत अनाज ही मिल पाता है और शेष की आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। लगभग 48 प्रतिशत उत्तरदाता यह बता रहे हैं कि उनकी खाद्यान्न की अधिकांश जरूरत अपने उत्पादन से न होकर दूसरे स्रोतों पर टिकी है। 50.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनाज के लिए अपने उत्पादन पर निर्भर तो है लेकिन उन्हें भी दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है।

## 8-1- [kk|kUu dh ekfld t:jr

खाद्यान्न की जरूरत का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि लोगों के लिए सिर्फ गेहूं और चावल ही खाद्यान्न नहीं है। अपितु वे बहुत सारे दूसरे अनाज गेहूं चावल की तुलना में ज्यादा पसन्द करते हैं। उदाहरण के तौर पर झाबुआ में मक्का का प्रचलन काफी है। सिवनी, खण्डवा, और धार में भी मक्का खाया व पसन्द किया जाता है। इसी प्रकार मण्डला व डिण्डौरी में साव, कुटकी व कोंदों जैसे स्थानीय परम्परागत अनाज काफी पसन्द किए जाते हैं।जिले वार गेहूं व चावल की जरूरत (जन्त्योदय परिवार) नीचे सारिणी में दी गई है।

| vR;kn; ifjokjk dh pkoy dh ekfld t:jr | | | | | | dqy mRrjnkrk vk dh l[;k | vR;kn; ifjokjk dh xgw dh ekfld t:jr | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ftys | ekfld t:jr ¼fdyk xke e½ | | | | | | ftys | ekfld t:jr ¼fdyk xke e½ | | | | | |
| | 1--5 | 5--15 | 16-25 | dg ugh ldrs | tok c ugh | | | 1--5 | 5--15 | 16-25 | 26-35 | 36-54 | tok c ugh |
| धार | 18 | 11 | 0 | 0 | 42 | 80 | धार | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| डिण्डोरी | 0 | 55 | 11 | 0 | 0 | 66 | डिण्डोरी | 1 | 34 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| झाबुआ | 40 | 2 | 0 | 1 | 29 | 80 | झाबुआ | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 |
| खण्डवा | 43 | 34 | 0 | 0 | 2 | 79 | खण्डवा | 1 | 1 | 31 | 44 | 0 | 2 |
| म्ंडला | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 99 | मंडला | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| थ्सवनी | 0 | 71 | 5 | 0 | 1 | 78 | सिवनी | 0 | 35 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| शिवपुरी | 83 | 4 | 0 | 0 | 6 | 93 | शिवपुरी | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| कुल | 184 | 275 | 17 | 1 | 80 | 575 | कुल | 3 | 71 | 201 | 292 | 1 | 7 |
| प्रतिशत | 32 | 47ण8 | 3ण0 | 0ण2 | 17 | 100 | प्रतिशत | 0ण5 | 12ण3 | 35ण0 | 50ण8 | 0ण2 | 1ण2 |
| इस सारणी में दिये गये आंकडे उत्तदाताओं की जिलेवार वास्तबिक संख्या को प्रदर्शित करते है | | | | | | | | | | | | | |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | | | | | | | |

उपरोक्त सारणी यह स्पष्ट करती है कि लगभग 80 प्रतिशत लोगों की प्रति परिवार गेहूं की मासिक जरूरत 16 से 35 किलों के बीच में है जबकि लगभग 50.8 प्रतिशत परिवारों की चावल की मासिक जरूरत 16–35 किलो है। मतलब यह गेहूं की मांग चावल की तुलना में ज्यादा है। अगर हम गेहूं और चावल की मांग जोड़ दे तो यह साफ है कि लोगों की जरूरत सरकार द्वारा किए जा रहे 35 किलों से ज्यादा की है।

## 8-2- dsjkslhu rsy dh ekax

लगभग सभी वर्गों को केरोसीन तेल चाहिए क्योंकि यह शाम को रोशनी के लिए और वक्त बेवक्त मेहमानों के आने पर चाय नाश्ता या खाना बनाने के काम आता है।

## 8-3- phuh

चीनी बहुत ही कम लोग उचित मूल्य की दुकान से खरीदते हैं क्योंकि अधिकांशतः खुले बाजार की कीमत उचित मूल्य की दुकानकी कीमत से कम है। इस वजह से लगभग 40 प्रतिशत उत्तदाताओं ने इस सवाल पर उत्तर नहीं दिए। शेष उत्तरदाताओं ने अपनी मासिक पारिवारिक जरूरत के बारे में बात की न कि उचित मूल्य से कितना मिलना चाहिए पर।

## 8-4- [kk|kUu dh miyC/krk ds fygkt ls dfBu le;

गांवों में की गई समूह चर्चाओं और इंटरव्यू के विश्लेषण के आधार पर हमने एक सारणी विकसित की है। जो साल के विभिन्न महीनों में खाद्यान्न की दूसरे स्रोतों से जरूरत का खाका खींचती हैं –

| ftyk | i;kIr [kk|kUu okyk le; | nljs lkrks ls vfrfjDr [kk|kUu dh t:jr okyk le; | [kk|kUu dh xHkhj deh | [kk|kUu ugha | flapkbZ |
|---|---|---|---|---|---|
| शिवपुरी | अक्टूबर–दिसम्बर | जुलाई–सितम्बर | अप्रैल से जून | दिसम्बर से मार्च | वर्ष पर आधरित |
| झाबुआ | अक्टूबर–दिसम्बर | जनवरी–मार्च | अप्रैल–सितम्बर | ऐसा समय नहीं आता | आंशिक व्यवस्था |
| धार | अप्रैल–मई<br>नवम्बर–दिसम्बर | अक्टूबर | जनवरी, जून, जुलाई | फरवरी,–मार्च,<br>अगस्त–सितम्बर | आंशिका व्यवस्था |
| खण्डवा | जनवरी–मार्च | अक्टूबर–दिसम्बर | अप्रैल–जून | जुलाई–सितम्बर | वर्षा आधारित |
| सिवनी | अक्टूबर–दिसम्बर | जनवरी–मार्च | अप्रैल–सितम्बर | ऐसा समय नहीं आता | आंशिका व्यवस्था और मशीनें |
| मण्डला | अक्टूबर–दिसम्बर | जनवरी–मार्च | अप्रैल–सितम्बर | ऐसा समय नहीं आता | आंशिका व्यवस्था और मशीनें |
| थ्डण्डौरी | कुछ गांवों में अक्टूबर दिसम्बर<br>कुछ गांवों में नवम्बर–दिसम्बर | फरवरी, सितम्बर, अक्टूबर<br>मार्च–अप्रैल<br>सितम्बर–अक्टूबर | जून से सितम्बर<br>जून से अगस्त | मार्च–अप्रैल<br>मई–जून | आंशिका व्यवस्था और मशीनें |

श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004

## 8-5- [kk|kUu lqj{kk vkSj iyk;u

लोग बताते हैं कि खाद्यान्न की कमी ही उन्हें पलायन के लिए मजबूर करती है और यह समय होता है जब उन्हें स्थानीय स्तर पर कोई मजदूरी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। ज्यादातर गांवों में लोगों ने यही बताया कि जब भी खाद्यान्न का संकट हो या लोगों को जरुरत हो गांव में या गांव के आस–पास कोई काम शुरु नहीं होता। लोगों का यह अनुभव इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार के कार्यक्रमों में समन्वय का स्तर क्या है? इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि रोजगार सृजन के कार्यक्रमों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब तक समन्वय से काम नहीं करेंगे लोगों को वास्तव में कोई भी फायदा नहीं होगा। रोजगार सृजन के कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों तक अनाज और नगद पहॅुचा कर लोगों को जरुरत के समय उचित मूल्य की दुकान तक पहॅुचने लायक बना सकते है।

## 9- mfpr eY; dh nqdku vkSj ykx

### 1- dher dk ckjs eas tkudkjh

गांवों में लोगों से बात करते समय हमने महसूस किया कि अगर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रणाली के संचालन की व्यवस्था, हितग्राहियों के अलग–अलग वर्गो के लिए तय कीमत, दुकान से जुड़े लोगों के अधिकार पंचायत और ग्राम सभा के अधिकार और भूमिका के बारे में ठीक–ठीक पता हो तो लक्षित विरतण प्रणाली का संचालन और लोगों की जिन्दगी पर उसका असर बहुत प्रभावी हों।

लोगों के जवाबों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 87. 5 प्रतिशत लोगों को यह पता है कि उचित मूल्य की दुकान पर सस्ता अनाज मिलता है। 9.2 प्रतिशत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। अन्त्योदय, गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से ऊपर सभी वर्गो के औसतन 80 प्रतिशत से ज्यादा हितग्राही यह बताते है कि उन्हें इस बात की जानकारी है।

| mfpr eYU; dh nqdku ij lLrk njksa ij vukt dh miyC/krk dh tkudkjh | | | |
|---|---|---|---|
| ftyk | gka | ugha | tokc ugha |
| धार | 270;15ण्6द्ध | 4;2ण्2द्ध | 6;9ण्5द्ध |
| डिण्डोरी | 258;14ण्96द्ध | 7;3ण्85द्ध | 4;6ण्35द्ध |
| झाबुआ | 209;12ण्1द्ध | 75;41ण्2द्ध | 10;15ण्8द्ध |
| खण्डवा | 245;14ण्2द्ध | 29;15ण्9द्ध | 16;25ण्6द्ध |
| मंउला | 226;13ण्1द्ध | 41;22ण्5द्ध | 12;19ण्5द्ध |
| सिवनी | 254;14ण्7द्ध | 11;6ण्04द्ध | 13;20ण्63द्ध |
| शिवपुरी | 263;15ण्2द्ध | 15;8ण्24द्ध | 2;3ण्17द्ध |
| कुल | 1725;87ण्5द्ध | 182;9ण्42द्ध | 63;3ण्2द्ध |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | |

इसी सवाल को जब आगे बढ़ा कर पूछा गया कि क्या उन्हें यह पता रहता है कि उचित मूल्य की दुकान पर कब कितना स्टाक है और उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध सामानों की कीमत क्या है तब परिस्थिति बदल जाती है। 65.6 प्रतिशत लोगों को स्टॉक कीमत के बारे में नहीं पता है। 12.2 प्रतिशत लोग हमें नहीं मालूम बोलकर जवाब नहीं देते और 9.8 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें कभी–कभी पता चल जाता है।

| mfpr eY; dh nqdku dk ckjs eas tkudkjh | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ftyk | gka | ugha | DHkh&dHkh | tokc ugha |
| धार | 27ण्6 | 16ण्0 | 0ण्5 | 2ण्1 |
| डिण्डोरी | 10ण्3 | 17ण्4 | 0ण्0 | 7ण्9 |
| झाबुआ | 27ण्2 | 8ण्0 | 63ण्4 | 0ण्4 |
| खण्डवा | 4ण्1 | 4ण्2 | 35ण्6 | 65ण्1 |
| मंउला | 9ण्1 | 18ण्3 | 0ण्5 | 8ण्3 |
| सिवनी | 17ण्7 | 15ण्3 | 0ण्0 | 15ण्4 |
| शिवपुरी | 4ण्1 | 20ण्7 | 0ण्0 | 0ण्8 |
| कुल | 12ण्3 | 65ण्6 | 9ण्8 | 12ण्2 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | |

पंचातय का सचिव, कोटवार, गांव के दूसरे लोग, राशन दुकान का संचालन तथा अन्य लोग जैसे सरकारी कर्मचारी पंच–सरपंच आदि से लोगों को उचित मूल्य की दुकान के बारे में सूचना मिलती है। 91.8 प्रतिशत लोगों ने बताया कि दुकान से बात करने पर वह बहुत से सवाल पूछता है या धमकी देना शुरू कर देता है जैसे –

- आपको हमसे सवाल पूछने का क्या अधिकार है।
- सरकारी जानकारी गोपनीय होती है।
- क्यों जानना चाहते हो।
- बदतमीजी कर देता है।
- यह जानकारी लेकर क्या करेंगे।
- आप अपना काम बताइये आपको दुनिया से क्या लेना–देना आदि

| mfpr eY; dh nqdku ls [kjhn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जिले का नाम | हां | नहीं | कभी–कभी | जवाब नहीं |
| धार | 181;13ण्30द्ध | 37;18ण्10द्ध | 58;17ण्30द्ध | 4;6ण्20द्ध |
| डिण्डोरी | 218;16द्ध | 23;11ण्3द्ध | 24;7ण्20द्ध | 4;6ण्20द्ध |
| झाबुआ | 184;13ण्5द्ध | 5;205द्ध | 95;28ण्4द्ध | 10;15ण्4द्ध |
| खण्डवा | 248;18ण्2द्ध | 11;5ण्4द्ध | 18;5ण्4द्ध | 13;20द्ध |
| मंउला | 172;12ण्6द्ध | 10;4ण्90द्ध | 83;24ण्8द्ध | 14;21ण्5द्ध |
| सिवनी | 203;14ण्9द्ध | 24;11ण्8द्ध | 35;10ण्4द्ध | 16;24ण्6द्ध |
| शिवपुरी | 160;11ण्7द्ध | 94;46ण्1द्ध | 22;6ण्60द्ध | 4;6ण्20द्ध |
| कुल | 1366;69ण्3द्ध | 204;10ण्4द्ध | 335;17ण्0द्ध | 65;3ण्3द्ध |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | |

## 10- forj.k iz.kkyh dk ykHk

बहुत से लोग या परिवार लक्षित वितरण प्रणाली पर निर्भर रहते है और उम्मीद का दामन थामे रहते है। लोगों के दिल में एक उम्मीद रहती है कि शायद यह व्यवस्था एक दिन उनकी अनाज से जुड़ी जरूरत पूरी करेगी और शायद इसलिए वे इस व्यवस्था, इसकी दुकाने, अनाज की गुणवत्ता और दूसरी समस्याओं को ऊपर तक पहॅुचाना चाहते है। इस प्रणाली को उपयोगिता के बारे में विभिन्न जिलों के हितग्राहियों के विचार नीचे सारणी में प्रस्तुत किए गए है।

| Mfpr eY; dh nqdku ls feyus okys vukt ls iwjh gksus okyh ikfjokfjd t:jr | | | | |
|---|---|---|---|---|
| t:jr iwjh gksus dh vof/k | xjhch js[kk Js.kh ds dkMZ /kkjd | vR;ksn; Js.kh ds dkMZ /kkjd | xjhch js[kk ls Åij dh Js.kh ds dkMZ /kkjd | dqy |
| पूरे साल | 7ण्1 | 16ण्9 | 1ण्1 | 9ण्2 |
| लगभग 6 से 9 महीनों तक | 11ण्0 | 18ण्6 | 1ण्9 | 11ण्93 |
| लगभग 3 से 6 महीनों तक | 38ण्5 | 44ण्9 | 10ण्0 | 36ण्4 |
| लगभग 1 से 3 महीनों तक | 22ण्3 | 15ण्1 | 4ण्8 | 17ण्8 |
| क्भी–कभी | 13ण्8 | 1ण्0 | 55ण्8 | 15ण्8 |
| इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते | 3ण्4 | 0ण्9 | 23ण्8 | 5ण्4 |
| यह सुविधा लाभकारी नहीं है | 1ण्6 | 0ण्5 | 0ण्4 | 1ण्1 |
| जवाब नहीं | 2ण्2 | 2ण्1 | 2ण्2 | 2ण्2 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | |

ऊपर से देखें तो यह साफ होता है कि 9.2 प्रतिशत लोगों की साल भर की जरूरत उनके अपने उत्पादन और लक्षित वितरण प्रणाली की दुकान से हो जाता है। शेष 90.8 प्रतिशत लोगों को अपने उत्पादन उचित मूल्य की दुकान के साथ–साथ दूसरे श्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अंत्योदय वर्ग के 16.9 प्रतिशत हितग्राही अपने दूसरे श्रोतो और उचित मूल्य की दुकान से लिये राशन में अपनी जरूरत पूरी कर लेते है। लगभग 60 प्रतिशत अंत्योदय वर्ग के लोग अपने श्रोत और उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले अनाज के सहारे 1 से 6 महीनों तक टिके रहते है। गरीबी रेखा के ऊपर के 7.2 प्रतिशत हितग्राही किसी न किसी से लक्षित वितरण प्रणाली या तो उपयोग नहीं करते या उपयोगी नहीं मानते। गरीबी रेखा के ऊपर के 23.8 प्रशित हितग्राही इस सुविधा का उपयोग नहीं करते। गरीबी रेख वाले कार्डधारियों में से 1.6 प्रतिशत हितग्राही उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन की व्यवस्था को अनुपयोगी मानते है।

## 11- mfpr eY; dh nqdku ls [kjhn

हमाने यह पता लगाने की कोशिश की कितने लोग उचित मूल्य की दुकान से अनाज खरीदते हैं पता चला कि कुल उत्तरदाताओं में से 69.3 प्रतिशत लोग उचित मूल्य की दुकान से अनाज लेते है। इस 67.3 प्रतिशत में सबसे ज्यादा लोग अंत्योदय अंत्योदय वर्ग के (कुल अंत्योदय का 93 प्रतिशत) फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले वर्ग (कुल गरीबी रेखा का 65 प्रतिशत) और सबसे कम गरीबी रेखा के ऊपर के (लगभग 38 प्रतिशत) लोग राशन की दुकान से अनाज लेते है।

10.4 प्रशित लोग राशन की दुकान से अनाज नहीं लेते और लगभग 17 प्रतिशत लोग कभी–कभी अनाज लेने जाते है। 3.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे राशन की दुकान नहीं जाते और इस कारण वे इस सवाल पर चुप रहे।

## 11-1- mfpr eY; dh nqdku ij oLrqvksa dh dher

हमने अलग–अलग वर्ग के कार्ड धारकों से यह जानने का प्रयास किया कि उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध वस्तुएं उन्हें किस कीमत पर मिलती है।

### vR;kn; oxZ

- इस वर्ग के 98.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना थ कि उन्हें गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है।
- 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें चावल 3 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलता है। लगभग 7.2 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी कारण से उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं लेते।
- लगभग 84.2 प्रतिशत लोगों के अनुसार चीनी की कीमत 9 रुपये प्रति किलो से ज्यादा है। 15.4 प्रतिशत उत्तरदाता चीनी नहीं लेते।
- 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केरोसीन की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा है।

यानि कुल मिलाकर देखे तो अधिकांश लोगों को उचित मूल्य की दुकान पर अनाज तय कीमत पर उपलब्ध है।

mfpr eY; dh nqdku ij vR;kn; dkMZ /kkfj;ksa ls fofHkUu oLrqvksa ds fy, yh tkus okyh dher

| oLrq | nqdku ij lkeku dh dher tks lkeku [kjhnrs oDr pqdkuh iM+rh gS ¼dks"Vd esa fn;s x;s vad izfr'kr crkrs gS½ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [kjhnrs ugha | irk ugha | ,d #i;s | nks #i;s | rhu #i;s | pkj #i;s | ikap #i;s | N% #i;s | lkr #i;s | vkB #i;s | ukS #i;s | ukS #i;s ls T;knk |
| चावल | 7 ;1ण2द्ध | 34 ;5ण9द्ध | 0 ;0द्ध | 7 ;1ण2द्ध | 437 ;76द्ध | 3 ;0ण5द्ध | 5 ;0ण9द्ध | 13 ;2ण3द्ध | 20 ;3ण5द्ध | 4 ;0ण7द्ध | 0 ;0द्ध | 45 ;7ण8द्ध |
| गेहूँ | 0 ;0ण0द्ध | 1 ;0ण2द्ध | 1 ;0ण2द्ध | 564 ;98ण1द्ध | 2 ;0ण3द्ध | 0 ;0द्ध | 5 ;0ण9द्ध | 1 ;0ण2द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0ण2द्ध | 1 ;0ण2द्ध |
| शक्कर | 33 ;5ण7द्ध | 56 ;9ण7द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 2 ;0ण3द्ध | 484 ;84ण2द्ध |
| केरोसिन | 2 ;0ण3द्ध | 8 ;1ण4द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 2 ;0ण3द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 162 ;28ण2द्ध | 401 ;69ण7द्ध |
| अन्य | 42 ;7ण3द्ध | 10 ;1ण7द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण2द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 522 ;90ण8द्ध |

श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004

### xjhch js[kk dkMZ /kkjh

मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा कार्डधारियों के लिए उचित मूल्य की दुकान पर गेहूँ 5 रुपये प्रति किलो और चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होना चाहिए।

- लगभग 9.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाताया कि उन्हें चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता हैं 66.43 प्रतिशत लोगों का जवाब था कि उन्हें चालव 7 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलता है। लगभग 15 प्रतिशत लोगों को चावल 8 रुपये या उससे ज्यादा कीमत पर मिलता है।
- 85.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गेहूँ 5 रुपये प्रति किलों की दर से मिलता हैं लगभग 2.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें गेहूँ 6 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है। गरीबी रेखा वर्ग के 4.53 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से गेहूँ नहीं लेते और 5.89 प्रतिशत लोगों को गेहूँ 9 रुपये से ज्यादा कीमत पर मिलता है।

- 28.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये प्रतिलीटर की दर से और 68.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये से ज्यादा की दर पर मिलता है।
- 97.77 प्रतिशत उत्तर दाताओं की चीनी 13 रुपये प्रतिकिलो की दर से मिलती है।

आंकड़े यह बताते है कि चावल का वितरण ठीक कीमत पर नहीं हो रहा और उसमें गड़बड़ी है।

| mfpr eY; dh nqdku ij xjhch js[kk dkMZ /kkfj;ksa ls fofHkUu oLrqvksa ds fy, yh tkus okyh dher | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oLrq | nqdku ij lkeku dh dher tks lkeku [kjhnrs oDr pqdkuh iM+rh gS ¼dks"Vd esa fn;s x;s vad izfr'kr crkrs gS½ | | | | | | | | | | | |
| | [kkfjnrs ugha | irk ugha | ,d #i;s | nks #i;s | rhu #i;s | pkj #i;s | ikap #i;s | N% #i;s | lkr #i;s | vkB #i;s | ukS #i;s | ukS #i;s ls T;knk |
| चावल | 9 ;0ण80द्ध | 79 ;7ण05द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 6 ;0ण54द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 110 ;9ण82द्ध | 744 ;66ण43द्ध | 14 ;1ण25द्ध | 9 ;0ण80द्ध | 148 ;13ण21द्ध |
| गेहूँ | 16 ;1ण43द्ध | 35 ;3ण13द्ध | 0 ;0द्ध | 8 ;0ण71द्ध | 2 ;0ण18द्ध | 2 ;0ण18द्ध | 960 ;85ण71द्ध | 30 ;2ण68द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 66 ;5ण89द्ध |
| शक्कर | 26 ;2ण23द्ध | 99 ;8ण84द्ध | 0 ;0द्ध | 3 ;0ण27द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 2 ;0ण18द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 988 ;88ण21द्ध |
| केरोसिन | 4 ;0ण36द्ध | 15 ;1ण34द्ध | 2 ;0ण18 द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 2 ;0ण18द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 324 ;28ण93द्ध | 771 68ण84द्ध |
| अन्य | 2 ;0ण18द्ध | 21 ;1ण88द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 1 ;0ण09द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 1095 ;97ण77द्ध |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | | | | | | |

## xjhch js[kk ds Åij ds fgrxzkgh

- इस वर्ग के 17.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें चावल 9 या 9 रुपये से कम कीमत पर मिल जाता हैं। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को चावल 9 रुपये से ज्यादा कीमत पर मिलता है। सरकार द्वारा तय रेट रु. 9.20 प्रतिकिलो है। 31.4 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से चावल नहीं लेते।
- गरीबी रेखा से ऊपर के हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य की दुकान पर गेहूँ की कीमत 7 रुपये प्रति किलो तय है। 18.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस कीमत या गेहूँ मिलता है। 15 प्रतिशत उत्तर दाताओं को 7 रुपये से कम कीमत पर मिलता है और 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गेहूँ 9 रुपये से ज्यादा की कीमत पर गेहूँ मिलता है।
- 7.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को केरोसीन 9 रुपये प्रति लीटर और 79.6 प्रतिशत को 9 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की दर पर मिलता है।
- 33.5 प्रतिशत उत्तरदाता चीनी नहीं खरीदते और 79.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के हिसाब से चीनी की कीमत 13 रुपये के आस–पास है।

| mfpr eY; dh nqdku ij xjhch js[kk dkMZ /kkfj;ksa ls fofHkUu oLrqvksa ds fy, yh tkus okyh dher | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oLrq | nqdku ij lkeku dh dher tks lkeku [kjhnrs oDr pqdkuh iM+rh gS ¼dks"Vd esa fn;s x;s vad izfr'kr crkrs gS½ | | | | | | | | | | | |
| | [kkfjnrs ugha | irk ugha | ,d #i;s | nks #i;s | rhu #i;s | pkj #i;s | ikap #i;s | N% #i;s | lkr #i;s | vkB #i;s | ukS #i;s | ukS #i;s ls T;knk |
| चावल | 30 ;11ण2द्ध | 54 ;20ण1द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 23 ;8ण6द्ध | 8 ;3ण0द्ध | 17 ;6ण23द्ध | 137 ;50ण9द्ध |
| गेहूँ | 44 ;16ण4द्ध | 47 ;17ण5द्ध | 0 ; 0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;2द्ध | 14 ;5ण2द्ध | 21 ;7ण8द्ध | 49 ;18ण2द्ध | 12 ;4ण5द्ध | 1 ;0ण4द्ध | 81 ;30ण1द्ध |
| शक्कर | 39 ;14ण5द्ध | 51 ;19ण0द्ध | 0 ;0 द्ध | 0 ; 0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 1 ;0ण4द्ध | 0 ; 0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 178 ;66ण2द्ध |
| केरोसिन | 20 ;7ण4द्ध | 12 ;4ण5द्ध | 2 ;0ण7द्ध | 1 ;0ण4द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 20 ;7ण4द्ध | 214 ;79ण6द्ध |
| अन्य | 28 ;10ण4द्ध | 8 ;3ण0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 0 ;0द्ध | 233 ;86ण6द्ध |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | | | | | | |

## 11-2- mfpr eY; dh nqdku ls f'kdk;rsa

राशन की ठीक कीमत पर न मिलना दुकान का समय पर न खुलना जैसे बहुत सारे मुद्दे लोग अक्सर गांवों में उठाते रहे। हमने इस अध्ययन में इन शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

अध्ययन में उत्तर दातओं के जवाबों का विश्लेषण बताता है कि 41.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उचित मूल्य की दुकान से शिकायत है और 58.38 प्रतिशत लोगों को शिकायत नहीं है। शिकायत के इस विश्लेषण से पहले यह बात दुहराना उचित होगा कि 65.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उचित मूल्य की दुकान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है और लगभग 9.42 प्रतिशत उत्तरदातओं को यह भी नहीं पता कि उचित मूल्य की दुकान पर अंत्योदय वर्ग के लिए गेहूँ 2 रुपये प्रतिकिलो और चावल 3 रुपये प्रतिकिलो उपलब्ध है। जानकारी का यह अभाव लोगों की शिकायतों का प्रतिशत अपने आप कम कर देता है।

शिवपुरी के 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राशन की दुकान से शिकायत है और झाबुआ के 61 प्रतिशत उत्तरदाता उचित मूल्य की दुकान से संतुष्ट है। जिन उत्तरदाताओं को शिकायत है उनमें से 15.2 प्रतिशत लोग ही अपनी शिकायत को लेकर ऊपर के अधिकारियों तक गए है। 84.7 प्रतिशत लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। जिन लोगों को शिकायत है उन्होंने दर्ज भी कराया है। उनमें से सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत लोग डिण्डोरी के है फिर 16 प्रतिशत शिवपुरी और सिवनी में 15.4 प्रतिशत है।

| mfpr eY; l f'kdk;r | | | |
|---|---|---|---|
| ftys dk uke | gk | ugh | dy |
| धार | 87 | 193 | 280 |
| | 31ए07 | 68ए93 | |
| डिण्डोरी | 42 | 225 | 267 |
| | 15ए73 | 84ए27 | |
| झाबुआ | 181 | 113 | 294 |
| | 61ए56 | 38ए44 | |
| खण्डवा | 58 | 225 | 283 |
| | 20ए49 | 79ए51 | |
| मंडला | 2 | 275 | 277 |
| | 0ए72 | 99ए28 | |
| सिवनी | 108 | 169 | 277 |
| | 38ए99 | 61ए01 | |
| शिवपुरी | 276 | 4 | 280 |
| | 98ए57 | 1ए43 | |
| कुल | 815 | 1143 | 1958 |
| | 41ए62 | 58ए38 | |
| जिलों के नीचे वाले खानों में जवाब देने वालो का प्रतिशत दिया गया है | | | |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | |

यह आंकड़े इस बात का उल्लेख करते है कि अधिकांश स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का काम भी लगभग न के बराबर है।

## 11-2-1- f'kdk;r ntl djkus dk LFkku

उचित मूल्य की दुकान की समस्याओं से परेशान लोग अपनी शिकायते लेकर कई जगह जाते है जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खण्ड अधिकारी, जिला पंचायत आदि। हमने आंकड़ों के विश्लेषण ये यह जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा किस जगह पर शिकायते दर्ज होती है। परिणाम यह बताते है कि सबसे ज्यादा शिकायत लेकर लोग ग्राम पंचायत के पास जाते है। गरीबी रेखा के उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत अंत्योदय के उत्तरदाताओं में से 43 प्रतिशत और गरीबी रेखा से ऊपर के उत्तरदाताओं में से 62.5 प्रतिशत लोग ग्राम पंचायत जाते हैं अंत्योदय के 33 प्रतिशत लोग और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले 12.5 प्रतिशत लोग विकास खण्ड अधिकारी के पास जाते है। विस्तृत परिणाम नीचे चारणी में दिए गए है।

| f'kdk;r ntl djokus dk LFkku | | | |
|---|---|---|---|
| f'kdk;r ntl djokus dk LFkku | xjhch js[kk J.kh ds dkMl /kkjd | vR;ksn; J.kh ds dkMl /kkjd | xjhch js[kk ls Åij dh J.kh ds dkMl /kkjd |
| ग्राम पंचायत | 72 | 43ए3 | 62ए5 |
| जनपद पंचायत | 6 | 3ए3 | 16ए7 |
| विकास खण्ड अधिकारी | 2 | 33ए3 | 12ए5 |
| जिला पंचायत | 8 | 10 | 4ए2 |
| जिला खाद्य अधिकारी | 2 | 3ए3 | 0ए0 |
| कलेक्टर | 8 | 6ए7 | 4ए2 |
| राज्य स्तर पर | 2 | 0 | 0ए0 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | |

## 11-2-2- f'kdk;r ugh ntl djkuk

जो लोग उचित मूल्य की दुकान की समस्याओं से परेशान है और शिकायत नहीं दर्ज कराते उनके अनुभव बहुत सी अनकही पहलुओं को उजागर करते है मसलन 20 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। 35.74 प्रतिशत लोगों को यह पता ही नहीं है कि समस्याओं को लेकर कहाँ जाएँ क्या करें। लगभग 7.77 प्रशित उत्तरदाताओं को समस्या निवारण में किसी से कोई मदद नहीं मिलती है।

| f'kdk;r ugh nt djokus dk dkj.k | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ftys dk uke | gekjh ckr dh lquokbZ ugha | ge dks yugha ekyee D;k duuk | Dkbz enn ugha djrk | vU; | tokc ugha |
| धार | 8ण0 | 8ण1 | 6ण5 | 3ण1 | 35ण58 |
| डिण्डोरी | 23ण6 | 17ण6 | 24ण2 | 3ण5 | 1ण23 |
| झाबुआ | 16ण1 | 14ण9 | 9ण2 | 46ण9 | 1ण28 |
| खण्डवा | 5ण8 | 6ण5 | 3ण9 | 10ण6 | 48ण97 |
| मंउला | 0ण0 | 29ण4 | 23ण5 | 15ण9 | 0ण00 |
| सिवनी | 18ण3 | 8ण4 | 17ण6 | 17ण3 | 16ण36 |
| शिवपुरी | 28ण1 | 15ण1 | 15ण0 | 2ण7 | 8ण46 |
| कुल | 0ण20 | 35ण74 | 7ण77 | 11ण47 | 24ण82 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | |

## 12- mfpr eY; dh nqdku ugha tkuk

लगभग 52 प्रशित उत्तरदाता कई बार उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीदते। इतनी बड़ी तादात में लोग अगर उचित मूल्य की दुकान पर नहीं जाना चाहते तो यह पूरी व्यवस्था पर एक बड़ी तल्ख टिप्पणी है और हमें लगा कि इसके कारणों की विस्तार से विवेचना होनी चाहिए।

- लगभग 9.67 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। अंत्योदय वर्ग के शिवपुरी के 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिकायत है कि उन्हें खराब अनाज मिलता है।
- 5.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि चूँकि दुकानदार उनके साथ बुरा बर्ताव करता है इसलिए वे उचित मूल्य की दुकान जाना या वहाँ से राशन लेना पसन्द नहीं करते।
- उचित मूल्य की दुकान घर से दूर होने की वजह से 19.4 प्रतिशत लोग राशन की दुकान से अनाज खरीदी को प्राथमिकता नहीं देते।
- किश्तों में राशन नहीं मिलने की वजह से 10.39 प्रतिशत उत्तरदाता राशन की दुकान से राशन नहीं दरीद पाते। यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लघन है।
- जरूरत के दिनों में राशन की दुकान खुली नहीं होती और इस कारण 7.49 प्रतिशत लोग दुकान नहीं जा पाते। यह भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लखन है।
- 13.54 प्रतिशत उत्तरदाता बताते है कि उनका खुद का उत्दान उनकी जरूरत के लिए काफी है। झाबुआ के अंत्योदय वर्ग के 28 प्रतिशत हितग्राहियों, गरीबीरेखा के 44 प्रतिशत और गरीबी रेखा के ऊपर के 100 प्रतिशत लोगों को अपना खुद का अनाज उत्पादन उनकी जरूरत भर के लिए काफी है अतः वे उचित मूल्य की दुकान नहीं जाते।
- 5.35 प्रतिशत लोगों को कहना था कि राशन की दुकान पर अनाज उपलब्ध ही नहीं होता तो वो दुकान जाकर क्या करेंगे। झाबुआ के अंत्योदय वर्ग के 13.8 प्रतिशत लोगों का यह अनुभव है, सिवनी के गरीबी रेखा वर्ग के 7.5 प्रतिशत लोगों का और शिवपुरी के इसी वर्ग के 27 प्रतिशत लोगों को अनुभव भी समान है।

| tkudkjh ekxus ij nqdkunkj dh izfrfØ;k | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ftys dk uke | rqegs ;g tkudkjh ysus dk D;k vf/kdkj gS | ;g xksiuh; tkudkjh gS | D;k tkuuk pkgrs gks | /kedh nsuk ;k nqO;Zogkj djuk | enn djuk | vU; | tokc ugha |
| धार | 3ण8 | 9ण8 | 26ण4 | 1ण7 | 28ण8 | 13ण9 | 8ण8 |
| डिण्डोरी | 2ण8 | 4ण9 | 7ण0 | 0ण0 | 3ण8 | 31ण7 | 1ण4 |
| झाबुआ | 4ण2 | 2ण4 | 5ण0 | 7ण6 | 31ण8 | 29ण3 | 3ण4 |
| खण्डवा | 0ण5 | 4ण9 | 0ण0 | 0ण0 | 1ण5 | 4ण6 | 58ण1 |
| मंउला | 0ण0 | 0ण0 | 33ण8 | 11ण0 | 2ण3 | 15ण8 | 1ण4 |
| सिवनी | 11ण3 | 29ण3 | 15ण8 | 52ण5 | 26ण5 | 4ण6 | 26ण4 |
| थ्शवपुरी | 77ण5 | 48ण8 | 12ण2 | 27ण1 | 5ण3 | 0ण1 | 0ण7 |
| कुल | 11ण8 | 2ण3 | 24ण7 | 6ण6 | 7ण3 | 39ण1 | 8ण2 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | |

लोगों ने उचित मूल्य की दुकान कम इस्तेमाल की कुछ और वजहे भी बतायी है जैसे –

- 25.94 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दुाकनदार राशन को खुले बाजार में बेच देता है।

- 7.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दुकानदार अच्छा राशन बेचता है और खराश राशन दुकान पर रखता है।
- 8.33 प्रतिशत लोगों के अनुसार दुकानदार कमी अनाज देता है तो कभी मना कर देता है।

कुल मिलाकर लगभग 50.44 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि दुकान दार उन्हें अनाज न देने के लिए तरह–तरह के हथकड़े अपनाता है।

| mfpr eY; dh nqdku ij de tkus dh otg | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nqdkunkj }kjk dh tkus okyh vfufer Rk;s | | | | | | | |
| ftys dk uke | vPNk vukt [kys cktkj esa Hkst fn;k tkrk gS vkSj [kjkc vukt nqdku ij | dkMZ /kkfj;ksa dks [kjkc vukt nsrs gS vkSj vPNk vukt cpk dj j[krs gS | DHkh nsrs gS dHkh ugha nsrs gS | vU; | dksbZ ugha | dksbZ Li"V dkj.k ugha crk ldrs | tokc ugha | dqy |
| धार | 12ण92 | 4ण29 | 31ण52 | 0ण98 | 14ण29 | 9ण52 | 16ण40 | 14ण21 |
| डिण्डोरी | 0ण78 | 7ण86 | 1ण82 | 0ण00 | 0ण00 | 19ण05 | 26ण82 | 13ण65 |
| झाबुआ | 15ण85 | 45ण71 | 11ण52 | 62ण44 | 0ण00 | 4ण76 | 0ण11 | 14ण92 |
| खण्डवा | 3ण52 | 1ण43 | 0ण00 | 2ण44 | 14ण29 | 47ण62 | 27ण58 | 14ण72 |
| मंउला | 0ण00 | 0ण00 | 1ण21 | 24ण39 | 14ण29 | 9ण52 | 24ण32 | 14ण16 |
| सिवनी | 31ण90 | 5ण00 | 25ण45 | 9ण27 | 57ण14 | 4ण76 | 4ण56 | 14ण11 |
| शिवपुरी | 35ण03 | 35ण71 | 28ण48 | 0ण49 | 0ण00 | 4ण76 | 0ण22 | 14ण21 |
| कुल | 511 (25.94) | 140 (7.11) | 165 (8.33) | 205 (10.41) | 7 (0.36) | 21 (1.1) | 921 (46.75) | 1970 (100) |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | | |

## 13- mfpr eY; dh nqdku [kqyus dh vof/k vkSj le;

उचित मूल्य की दुकान कितने समय के लिए खुलती है यह तथा अपने आप में उसके कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर देता है। हमने तीनों वर्गो के कार्डधारियों ये यह जानना चाहा तो –

| Eghus esa nqdku [kqyus ds fnu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ftys dk uke | 2 से 5 दिन | 5 से 10 दिन | 10 से 15 दिन | 15 से 20 दिन | पूरा महीना | नहीं जानते |
| धार | 17ण1 | 1ण6 | 43ण4 | 0ण0 | 0ण0 | 0ण0 |
| डिण्डोरी | 13ण0 | 16ण0 | 7ण3 | 0ण0 | 18ण2 | 85ण0 |
| झाबुआ | 0ण9 | 24ण0 | 3ण7 | 0ण0 | 76ण2 | 0ण0 |
| खण्डवा | 0ण9 | 13ण1 | 11ण5 | 89ण2 | 1ण4 | 12ण5 |
| म्ंउला | 26ण6 | 10ण9 | 15ण1 | 0ण0 | 0ण0 | 2ण5 |
| सिवनी | 37ण9 | 11ण2 | 0ण0 | 0ण0 | 0ण0 | 0ण0 |
| शिवपुरी | 3ण6 | 23ण3 | 19ण0 | 10ण8 | 4ण2 | 0ण0 |
| कुल | 27ण0 | 34ण9 | 20ण8 | 8ण0 | 7ण3 | 2ण0 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | |

- 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान महीने में 2–5 दिन खुलती है।
- 34.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान महीने में 5 से 10 दिन तक खुलती है।
- 20.8 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुाकन 10 से 15 दिन तक खुलती है।

- 15.3 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुकान महीने में 5 दिन से ज्यादा समय के लिए खुलती है और इसमें से 7.3 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनकी दुकान महीने भर खुलती है।

उचित मूल्य की दुकान खुलने के समय के बारे में 66.8 प्रतिशत उत्तर दाताओं का यह मानना था कि उनकी दुकान दोपहर के समय खुलती है जबकि 17.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि उनकी दुकान सुबह खुलती है। धार और खण्डवा के 40 प्रतिशत से ज्यादा उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी दुकान सुबह खुलती है। विस्तृत जानकारी नीचे सारणी में दी गयी है।

| mfpr eY; dh nqdku [kqyu dk le; | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ftyk dk uke | सुबह | दोपहर | शाम | कभी भी | लोगों की सहमति से समय तय होता है | अन्य | जवाब नहीं |
| धार | 40ण्6 | 10ण्0 | 0ण्0 | 0ण्0 | 0ण्0 | 3ण्6 | 0ण्0 |
| डिण्डोरी | 0ण्0 | 19ण्9 | 0ण्0 | 7ण्9 | 25ण्0 | 0ण्0 | 14ण्3 |
| झाबुआ | 5ण्4 | 20ण्3 | 0ण्0 | 0ण्0 | 0ण्0 | 4ण्2 | 0ण्0 |
| खण्डवा | 47ण्1 | 5ण्9 | 5ण्3 | 1ण्6 | 50ण्0 | 19ण्3 | 85ण्7 |
| म्ंउला | 4ण्3 | 8ण्7 | 28ण्9 | 0ण्0 | 0ण्0 | 72ण्4 | 0ण्0 |
| थ्सवनी | 0ण्3 | 17ण्7 | 0ण्0 | 68ण्3 | 25ण्0 | 0ण्0 | 0ण्0 |
| शिवपुरी | 2ण्3 | 17ण्6 | 65ण्8 | 22ण्2 | 0ण्0 | 0ण्5 | 0ण्0 |
| कुल | 17ण्8 | 66ण्8 | 1ण्9 | 3ण्2 | 0ण्2 | 9ण्7 | 0ण्4 |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | | | | | |

## 14- fuxjkuh lfefr;k

निगरानी समितियों की व्यवस्था को लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया। हमने सातों जिलों में जिला, जनपद और दुकान के स्तर पर समितियों का स्थिति को समझने का प्रयास किया। सभी जिले से प्राप्त जानकारी नीचे सारणी में दी गयी है।

| fuxjkuh lfefr dh fLFkfr | | | |
|---|---|---|---|
| ftyk dk uke | ftyk Lrjh; lfefr | tuin Lrjh; lfefr | nqdku Lrjh; lfefr |
| e.Myk | जिला पंचायत अध्यक्ष को पता नहीं सहकारी समिति के प्रबंधक कहते है लेकिन सदस्यों का नाम पता नहीं | जनपद अध्यक्ष के अनुसार नहीं बनी सहकारी समिति के अनुसार बनी है लेकिन कार्यरत नहीं है | गठन के बारे में दुकानदार और लोगों दोनों को पता नहीं है |
| fM.Mkjh | समिति बनी है | जनपद अध्यक्ष के अनुसार नहीं बनी सहकारी समिति के अनुसार बनी है लेकिन कार्यरत नहीं है | जानकारी उपलब्ध नहीं है |
| /kkj | समिति बनी है और कलेक्टर बैठक लेते है | गठन हुआ है लेकिन सदस्यों को जानकारी नहीं बैठक नहीं होती | निगरानी समिति नही बनी है |
| >kcqvk | जिला पंचायत अध्यक्ष के अनुसार अभी कोई समिति नहीं है पहले थी। डिप्टी कलेक्टर को ज्यादा जानकारी नहीं है | जनपद अध्यक्ष के अनुसार समिति बनी है लेकिन सक्रिय नहीं है मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार कोई कार्यसमिति नही बनी | सरपंचों के अनुसार कोई समिति नहीं बनी |
| Flouh | जानकारी उपलब्ध नहीं है | मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत कुरई के अनुसार निगरानी समिति जनपद स्तर पर नहीं बनी बल्कि ग्राम स्तर पर बनी है | जानकारी उपलब्ध नहीं है |
| f'koiqjh | जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अनुसार समिति बनी है और अपना काम करती है | जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोलारस के अनुसार निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ और उन लोगों को पता नहीं है। अनुविभागी अधिकारी का कहना है कि समिति गठित है | दुकान स्तर पर गठन नहीं हुआ लेकिन सोसायटी के मैनेजर उनको सदस्य कौन होगा इसकी जानकारी नहीं है |
| [k.Mok | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी के अनुसार जिला स्तर पर समिति बनी है | निगरानी समिति बनी है | निगरानी समिति बनी है सदस्य प्रति सप्ताह जाकर जाँच करते है |
| श्रोतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन–2004 | | | |

टधिकांश जिलों में निगरानी समिति की स्थिति दयनीय है। जिला स्तरीय समितियों के बारे में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्यों को पता नहीं है हॉ प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में जरूर जानते है।

जनपद स्तर की निगरानी समितियां कही गठित है कही शायद नहीं गठित लेकिन सक्रिय कहीं भी नहीं मिली। दुकान स्तरीय समितियां अधिकांशतः गठित नहीं है। सिर्फ शिवपुरी और खण्डवा में इस स्तर पर समितियों के बारे में जानकारी मिली।

## 15- ipk;rk vkj xke lHkk dh Hkkxhnkjh

भारत सरकार के निर्देश, सर्वोच्च न्यायलय के आदेश और भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति यह अपेक्षा करते है कि पूरी व्यवस्था को समक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए पंचायतों, पंचायत, प्रतिनिधियों और ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकांश जिलों में जिला स्तर पर पंचायतों, पंचायत प्रतिनिधियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की इस व्यवस्था में सीधी भागीदारी बहुत कम देखने में आयी। झाबुआ की जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि अभी उनकी कोई भागीदारी नहीं। मण्डला जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि उन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अनाज का आवंटन नहीं होता।

पूरी व्यवस्था में जनपद पंचायतों की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है लेकिन सातों जिलों में जनपद पंचायत का इस व्यवस्था में हस्तक्षेप न के बराबर था। कई जगह जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अध्यक्षों ने यही बताया कि इस व्यवस्था के बारे में एस.डी.एम. को ज्यादा जानकारी है।

ग्राम पंचायत स्तर पर कहीं–कहीं सिर्फ सरपंचों को शामिल किया गया है लेकिन उनकी रिपोर्ट या शिकायतों का कोई ज्यादा असर नहीं होता।

कही भी ग्राम–सभा की कोई प्रभावी भूमिका देखने या सुनने को नहीं मिली। ग्रामसभा से सामाजिक मूल्यांकन करवाया जाना प्रस्तावित है लेकिन सभी 54 गांवों से यही पता चला कि वहाँ पर राशन की दुकान या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कभी भी चर्चा नहीं हुयी और नहीं इसका सामाजिक मूल्याकन किया गया है।

## 16- ndkunkj d vuHko

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवस्था का सारा दारोमदार दुकानों के संचालन पर निर्भर करता हैं दुकान के सामान खरीदने वालों का पक्ष तो हमने अभी तक समझा है लेकिन पूरी व्यवस्था के संचालन की समस्या को ठीक से समझने के लिए दुकान, दुकान संचालन की व्यवस्था से जुड़े लोगों का प्क्ष समझना भी जरूरी हैं। सात जिलों के 28 दुकानदारों ने अपने अनुभवों के आधार पर निम्न बिन्दुओं को उठाया–

- खाद्य नियंत्रक का नियंत्रण रहता है।
- राशन लेने वाले कार्डधारकों की संख्या बढ़ गयी है।
- र्प्याप्त राशन उपलब्ध नहीं हो पाता।
- लेड सोसाइटी की व्यवस्था से अनाज के परिवहन में आसानी हुयी है।
- गंव के प्रभावशाली लोग अपने दबाव से दुकान चलाना चाहते है जिससे कि गरीबों को दिक्कत होती है।
- शक्कर की कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई हमारे यहाँ से शक्कर नहीं खरीदता। इस वजह से हमारी दुकान का मुनाफा काफी कम हो गया है और इस मुनाफे पर दुकान चलाना संभव नहीं हो पाता ।
- आजकल आवंटन काफी विलम्ब से आता है।
- दुकानों को बहुत बड़ा क्षेत्र देखना पड़ता है।

दुकानदारों के अनुसार विगत पांच वर्षो में काफी बदलाव आए है और अब उपभोक्ता काफी ज्यादा जागरूक हो गया है। खाद्यान्न की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में काफी सुधर गयी है। कुल मिलाकर देखें तो दुकान संचालन में गांवों के दबंगों की भूमिका की वजह से कई दुकानदारों को दिक्कत होती है। अगर राशन की आपूर्ति ठीक न हो तो भी दिक्कत होती है। अंत में राशन की दुकान चलाने वाले की आप और खर्च के पक्ष को भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर दुकान चलाने से लाभ कम होगा तो व्यवस्था में या तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा या फिर दुकानों के संचालन में लोग हाथ नहीं डालेंगे।

## 17- v/; ;u d: i:e[k fu"d"k

लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किए इस अध्ययन से कई तथ्य उभर कर आते है।

- मध्यप्रदेश, बिहार और झारंखण्ड जैसे राज्यों में अनाजों के आवंटन और उससे जुड़ी इच्छाशक्ति आध्रप्रदेश या केरल जैसे राज्यों से काफी कमजोर है। यह राज्यों को अनाज के आवंटन और उठाव के आंकड़ो से एकदम स्पष्ट हो जाता है।
- राज्यों के आवंटन के आंकड़े यह बताते है कि इस स्तर पर गरीबी और गरीबी रेखा के परिवारों से अलग कोई और ही सिद्धात काम करता है। अतः मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को अपना आवंटन बढ़ाने के लिए केन्द्र से मांग करनी चाहिए। मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का आवंटन बढ़ाने में केन्द्र को बहुत दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत से दूसरे राज्यों में अनाज के उठाव के प्रतिशत बहुत कम है।
- गांवों में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन खेती है। खेती के मौसम पर निर्भर होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में उतार–चढ़ाव आता रहता है जिससे लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित होती है।
- गांवों में रोजगार कार्यक्रमों का लोगों की जरूरत से तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए गांवों से बाहर पलायन करना पड़ता है।
- लोगों को अनाज की आपूर्ति स्वयं के उत्पादन, मजदूरी के माध्यम से कमाये गये पैसे और अनाज के माध्यम से होती है। पैसो के माध्यम से अनाज उपलब्धता के आधार पर खुले बाजार या उचित मूल्य की दुकान से खरीदा जाता है।
- साल में लगभग 3 से 4 महीने का समय ऐसा है जब गांव के अधिकाशं परिवारों के पास अनाज की बहुत दिक्कत होती है।
- यह 3 से 4 महीने वह समय है जब अधिकांश परिवार पलायन की वजह से चाह कर भी अपने राशन कार्ड पर आवंटित अनाज को नहीं खरीद सकते।
- मजदूरी और नगद की अनुपलब्धता के कारण लोग आज भी साहूकार या बड़े किसानों से अनाज उधार लेते है। उधारी की यह व्यवस्था उन्हें आगे के महीनों में सस्ता श्रम बेचने को मजबूर करती है।
- एक तरफ गांव में लोगों के पास अनाज की कमी है वही मध्य प्रदेश अपने कुल आंवटन का पूरा हिस्सा अनाज नही उठा पाता। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी गरीब और अंत्योदय के हितग्राही अगर अनाज मांगने आएं तो उनहें अनाज नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता।
- जिला स्तर पर अनाज आंवटन और उठाव की स्थिति में बहुत अंतर है और एक दो अपवादों को छोड़कर अधिकांश जिले अनाज के उठाव में बहुत ढीले है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में लगे लोगों का कहना है कि हितग्राही कम खरीदते है इसलिए उठाव कम है। दूसरी तरफ हितग्राही और दुकान संचालक अनाज नहीं मिलने की बात करते है।
- सिर्फ 7.3 प्रतिशत हितग्राही यह कहते है कि दुकान पूरे महीने खुलती है। 91 प्रतिशत हितग्राहियों के अनुसार दुकान पूरे महीने नहीं खुलती।
- दुकान खुलने का समय तय नहीं है और दुकानदार अपनी सुविधा से दुकान खोलते है।
- लगभग 40 प्रतिशत हितग्राही यह बताते है कि उन्हें या तो समय से राशन नहीं मिलता या खराब अनाज दिया जाता है।
- जिन जिलों में गरीबी ज्यादा है उन्हीं जिलों में अनाज का उठाव काफी कम हैं।
- मध्यप्रदेश में अभी भी लगभग 3 लाख अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है।

- उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाले चावल की कीमत कई बार सरकार के द्वारा तय दर से अधिक बतायी गयी।
- लगभग 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि चूकि उन्हें राशन की दुकान से किश्तों में राशन नहीं मिलता इसलिए वे राशन की दुकान पर नहीं जा पाते और अपना पूरा राशन नहीं उठा पाते। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद है।
- लगभग 65.6 प्रतिशत लोगों को राशन की दुकान और उसमें उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं रहती। यह भी सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अवहेलना है
- 60 प्रतिशत से ज्यादा हितग्राहियों को अनाज के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है और यह दूरी बहुत हद तक कम जानकारी तथा कम पारदर्शिता का कारण बनती है।
- अच्छा अनाज बाजार में बेच देना, कार्ड धारकों से दुर्व्यवहार करना आदि कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से काफी कार्ड धारक दुकान जाना ही नहीं पसंद करते है।
- सभी जिलों के आंकड़े यह स्पष्ट करते है कि दुकान और जनपद पंचायत के स्तर पर या तो निगरानी समितियां गठित ही नहीं है और अगर है तो एक दम निष्क्रिय है। जिले के स्तर पर समितियां गठित है लेकिन उनका जिला पंचायत और उसके प्रतिनिधियों से कोई तालमेल नहीं है।

कुल मिला कर देखे तो यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में पहले की अपेक्षा सुधार तो आया है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में बहुत सारी गड़बडियाँ और दिक्कते है। पंचायतों की कम भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण का न होना व्यवस्था को कमजोर बनाएं रखने में मदद करते है।

## 18- l|>ko

अध्ययन के दौरान लोगों से चर्चा के दौरान लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। यह सुझाव इस प्रकार है–

- खाद्यान की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए।
- उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोली जाएं।
- खराब अनाज मिलने और दुकान समय से न खुलने की स्थिति में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- राशन की दुकान से किश्तों में अनाज मिलने की बात का व्यापक प्रचार हो और अनाज किश्तों में मिल सकें यह भी सुनिश्चित किया जाएं ।
- जिला और जनपद स्तर पर अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदारी तय की जाएं जिससे कि दुकान समय पर खुले।
- तीनों स्तरों पर निगरानी समितियों को सक्रिय बनाया जाएं और उनकी भूमिका को स्थानीय संदर्भो के अनुसार परिभाषित किया जाएं।
- उचित मूल्य की दुकानों की संख्या को बढ़ाया जाएं।
- गरीबी रेखा के लोगों के लिए खाद्यान की कीमत कम की जाएं।
- उचित मूल्य की दुकानों पर केरोसीन की मात्रा समय से उपलब्ध हो और साथ ही उसका प्रति परिवार आवंटन बढ़ाया जाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि केरोसीन जहां एक तरफ रोशनी का एक मात्र साधन है वहीं आपात स्थिति में और बरसात के मौसम में खाना पकाने का भी एक मात्र साधन है।
- चीनी की कीमत कम की जाएं।
- शिकायतों के निवारण का तंत्र बेहतर और प्रभावी बनाया जाएं।
- उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की भागीदारी मजबूत करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाएं।
- ग्राम स्तर पर वार्षिक योजना बने जिसके आधार पर ही उचित मूल्य की दुकान से वस्तुओं की आपूर्ति हो । इसी वार्षिक योजना के आधार पर दुकान का आवंटन तय किया जाएं साथ ही इसी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी का काम निगरानी समितियों को दिया जाएं।

- जिन महीनों में ग्रामीण परिवार पलायन करके बाहर जाते है उस समय उनके कार्ड पर वहीं राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई जाएं।
- अनाज की कमी या दिक्कत वाले महीनों के लिए विशेष येाजना बनाने पर जोर दिया जाएं और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के सभी कार्यक्रम इस समय लोगों को काम उपलब्ध करवा सके।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को निश्चित रूप से लागू किया जाएं और साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के परिणामों को लागू करना सुनिश्चित किया जाएं।